राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2715565 E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/बै.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2019-20/ 5654 दिनांक :- 11/9/19

हाउस आधारित यूथ एवं ईको क्लब दिशा निर्देश 2019-20

A) प्रस्तावना:-

यूथ एवं ईको क्लब -

(1) यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जायेगी।

(2) ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की जायेगी।

B) यूथ एवं ईको क्लब गठन की प्रक्रिया:-

1. प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) गठित किये जायेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये इसी नाम से पांच सदन (हाऊस) गठित किये जायेंगे।
2. विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एवं इको क्लब के प्रभारी अधिकारी होंगे।
3. संस्था प्रधान (प्रभारी अधिकारी) की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिये सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाऊस व्यवस्था के तहत यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।
4. प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) के विद्यार्थियों के लिये यूथ एवं इको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) के लिये यूथ एवं इको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) बनाये जायेंगे इनके नाम - पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि होंगे।
6. संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन (हाऊस) की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिये एक से अधिक प्रभारी शिक्षक बनाये जायेंगे। विद्यालय में सदन (हाऊस) से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन (हाऊस) का प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शैक्षिक कार्मिक को अपेक्षाकृत अधिक सदन (हाऊस) का प्रभार दिया जायेगा।
7. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को पांच भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन (हाऊस) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा की कक्षाओं के पांचों सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिये पांच सदन बनाये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

8. इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब के तहत पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब के तहत उन्हीं नाम से पांच सदन (हाऊस) कार्य करेंगे।

9. विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन (हाऊस) का सदस्य बनेगा विद्यालय की अन्तिम कक्षा तक उसी सदन (हाऊस) का सदस्य रहेगा।

10. प्रत्येक सदन (हाऊस) की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों द्वारा संचालित करवाया जायेगा। प्रत्येक सदन (हाऊस) में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है। सदन (हाऊस) की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जायेगा।

11. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से सम्बन्धित सदन (हाऊस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाऊस) के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवायी जायें। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित तथा खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनोमी) आदि को सदन (हाऊस) के नाम से साथ जोड़ते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं सम्बद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।

12. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र–पत्रिकाओं इत्यादि स्त्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।

13. प्रत्येक सदन (हाऊस) में यूथ एवं ईको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। यह गतिविधियां प्रभारी शिक्षक/शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जायेगी।

14. समस्त विद्यार्थियों को यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

15. समय–समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन (हाऊस) के मध्य यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत किया जायेगा। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य आयोजित की जायेंगी।

16. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा कलैण्डर अनुसार उत्सव के लिये निर्धारित दिवसों एवं विद्यालय समय पश्चात् तथा अवकाशों के दौरान किया जायेगा।

17. यूथ एवं इको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन कराया जायेगा।

18. विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन (हाऊस) का नाम भी अंकित किया जाये ताकि विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम से भी पहचाना जाये।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

19. विद्यालय की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन (हाऊस) का रजिस्टर संधारित किया जायेगा। **रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं ईको क्लब तथा सदन (हाऊस) का नाम अंकित होगा।** रजिस्टर में सदन (हाऊस) के विद्यार्थियों के नाम व कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रूचि की गतिविधि अंकित की जायेंगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी व संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। रजिस्टर में गतिविधि में व्यय राशि का विवरण संधारित किया जायेगा।

20. विद्यालय अवलोकन के समय संस्थाप्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को समस्त ''यूथ एवं ईको क्लब रजिस्टर'' का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

नोटः– संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के मुख्यद्वार पर 4 फीट x 2.5 फीट का स्थायी बोर्ड लगाया जायेगा। बोर्ड पर हल्का हरा रंग किया जाकर पीले रंग से ''यूथ एवं ईको क्लब, समग्र शिक्षा राजस्थान'' अंकित किया जायेगा।

C) गतिविधियाँः–

- **यूथ क्लब गतिविधियाँः–**
  - ✓ यूथ क्लब गतिविधियों में समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद–विवाद, संगीत, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियाँ इत्यादि शामिल है।
- **ईको क्लब गतिविधियाँः–**
  - ✓ ईको क्लब गतिविधियों में पर्यावरण, जैवविविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
  - ✓ प्रदर्शनी, पेंटिंग, लेखन, वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित चल–चित्रों का प्रदर्शन, अभिभावकों व सेवानिवृत्त एवं सेवारत राजकीय अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, कोच, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ता का आयोजन किया जायेगा।
  - ✓ सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत सभी बच्चों की लम्बाई, वजन एवं शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड **'विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर'** में संधारित किया जायेगा। विद्यालय में आयोजित सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
  - ✓ प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में ''**स्वच्छता कार्यक्रम**'' आयोजित किया जायेगा। जिसमें विद्यालय परिसर एवं कक्षा–कक्षों की साफ–सफाई, ठोस कचरा निस्तारण, जल–निकास एवं पानी की टंकियों की साफ–सफाई, सामूहिक रूप से शिक्षकों के निर्देशन में की जायेगी।
  - ✓ सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे कि– नाखून, स्नान, सिर के बालों, दाँतों, यूनिफॉर्म, जूते–मोजों इत्यादि की साफ–सफाई की जाँच की जायेगी एवं बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा।
  - ✓ जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाकर अपने आस–पास के लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा। जल संरक्षण के प्रति आयोजित होने वाले ''जल शक्ति अभियान'' अन्तर्गत सभी विद्यालयों के ईको क्लब द्वारा जल संरक्षण के प्रचार–प्रसार के आयोजन किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

D) वित्तीय प्रावधान:-

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019-20 में यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए डाइस डाटा 2017-18 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के 52539 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 4636.35 लाख एवं माध्यमिक शिक्षा 14102 विद्यालयों के लिए राशि रूपये 3525.50 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है:-

विद्यालय	गतिविधि	प्रति विद्यालय वित्तीय प्रावधान (राशि रूपये)
प्राथमिक विद्यालय	यूथ एवं ईको क्लब	5000
उच्च प्राथमिक विद्यालय		15000
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय		25000

E) वित्तीय व्यय हेतु निर्देश:-

1. विद्यालय को यूथ एवं ईको क्लब राशि का उपयोग यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों के आयोजन में करना है।
2. विद्यालय, सीआरसी एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त खेल व शारीरिक गतिविधियाँ, योग, ड्रामा, वाद-विवाद, संगीत, कला संबंधी गतिविधियाँ एवं रीडिंग गतिविधियों के आयोजन में इस राशि का उपयोग किया जायेगा।
3. यूथ एवं ईको क्लब की गतिविधियों के दौरान बच्चों के लिए स्वल्पाहार, यात्रा किराया एवं समस्त आवर्ती खर्चों हेतु इस राशि का उपयोग किया जायेगा।
4. यूथ एवं ईको क्लब गतिविधियों में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये।
5. यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।
6. **यूथ एवं ईको क्लब की प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जावे एवं बिल वाउचर संधारित किये जायेंगे।**
7. गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराये गये बजट का सत्र 2019-20 में उपयोग किया जाकर निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
एवं सह विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।

क्रमांक:- रास्कूलशिप/जय/औ.शि./ यूथ एवं ईको क्लब दिशा-निर्देश/2019-20/ 5654 **दिनांक :** 11/9/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. नियन्त्रक वित, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
5. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

10/9/19

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम ....यू डाईस कोड...............................
यूथ एवं ईको क्लब प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में प्राप्त यूथ एवं ईको क्लब राशि रू. ....का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि........... है एवं शेष राशि ....व पूर्व अवशेष राशि रू0 .... कुल राशि रू0 .... बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या................... दिनांक .... द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में ब्लॉक .... जिला .... के ....प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक,............................., माध्यमिक .... एवं उच्च माध्यमिक .... विद्यालयों को जारी की गई यूथ एवं ईको क्लब की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूथ एवं ईको क्लब हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि. वि.
				यूथ एवं ईको क्लब	यूथ एवं ईको क्लब	यूथ एवं ईको क्लब	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय
....

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय
....

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

यूथ एवं ईको क्लब
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में जिला .... को यूथ एवं ईको क्लब मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर **सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी**	**हस्ताक्षर** **सहायक लेखाधिकारी** ....
हस्ताक्षर **अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**	**हस्ताक्षर** **जिला परियोजना समन्वयक** ....

यूथ एवं इको क्लब बोर्ड का प्रारूप

विद्यालय के मुख्यद्वार पर इस प्रारूप में बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Quality Interventions : 2019-20

Youth & Eco Club										
S.N.	District	Secondary Sec. & Sr. Sec.		Elementary UPS only		Stand alone primary only schools		Total	
		Physical	Finance for Formal Edu. Rs. 25000/-	Physical	Financial @Rs. 15000/-	Physical	Financial @Rs. 5000/-	Physical	Financial in lac
1	AJMER	494	123.500	665	99.750	685	34.250	1844	257.500
2	ALWAR	743	185.750	1077	161.550	1006	50.300	2826	397.600
3	BANSWARA	421	105.250	501	75.150	2009	100.450	2931	280.850
4	BARAN	294	73.500	410	61.500	865	43.250	1569	178.250
5	BARMER	593	148.250	1332	199.800	2803	140.150	4728	488.200
6	BHARATPUR	523	130.750	591	88.650	606	30.300	1720	249.700
7	BHILWARA	544	136.000	944	141.600	1379	68.950	2867	346.550
8	BIKANER	384	96.000	486	72.900	1118	55.900	1988	224.800
9	BUNDI	264	66.000	377	56.550	602	30.100	1243	152.650
10	CHITTAURGARH	397	99.250	641	96.150	772	38.600	1810	234.000
11	CHURU	485	121.250	544	81.600	371	18.550	1400	221.400
12	DAUSA	360	90.000	470	70.500	703	35.150	1533	195.650
13	DHAULPUR	249	62.250	326	48.900	547	27.350	1122	138.500
14	DUNGARPUR	370	92.500	456	68.400	1646	82.300	2472	243.200
15	GANGANAGAR	451	112.750	592	88.800	882	44.100	1925	245.650
16	HANUMANGARH	335	83.750	428	64.200	309	15.450	1072	163.400
17	JAIPUR	915	228.750	1263	189.450	1471	73.550	3649	491.750
18	JAISALMER	176	44.000	283	42.450	731	36.550	1190	123.000
19	JALOR	351	87.750	564	84.600	969	48.450	1884	220.800
20	JHALAWAR	320	80.000	607	91.050	765	38.250	1692	209.300
21	JHUNJHUNU	496	124.000	550	82.500	489	24.450	1535	230.950
22	JODHPUR	604	151.000	905	135.750	1968	98.400	3477	385.150
23	KARAULI	309	77.250	395	59.250	683	34.150	1387	170.650
24	KOTA	303	75.750	417	62.550	366	18.300	1086	156.600
25	NAGAUR	690	172.500	983	147.450	1318	65.900	2991	385.850
26	PALI	468	117.000	737	110.550	610	30.500	1815	258.050
27	PRATAPGARH	186	46.500	326	48.900	1068	53.400	1580	148.800
28	RAJSAMAND	290	72.500	560	84.000	840	42.000	1690	198.500
29	S.MADHOPUR	292	73.000	314	47.100	455	22.750	1061	142.850
30	SIKAR	584	146.000	732	109.800	615	30.750	1931	286.550
31	SIROHI	217	54.250	250	37.500	509	25.450	976	117.200
32	TONK	321	80.250	518	77.700	605	30.250	1444	188.200
33	UDAIPUR	673	168.250	850	127.500	2680	134.000	4203	429.750
	TOTAL	14102	3525.500	20094	3014.100	32445	1622.250	66641	8161.850

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू- तल, ब्लॉक-6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स न

F.5(3)(171)/RCSCE/SWSHE/School Safety/ 2018 1837 दिनांक: 20/02/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला-समस्त

विषय:- स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश।

विद्यालय सुरक्षा एक जटिल विषय है जिसमे छात्र-छात्राओ को विद्यालयों मे शारीरिक दण्ड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा से बचाना लक्षित है। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के Quality Interventions अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने हेतु प्रति विद्यालय रूपये 500/- का प्रावधान किया गया है।

राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने के संबंध में राज्य मुख्यालय से जिलों को प्रति विद्यालय 500/- रूपये की दर से राशि हस्तानान्तरित की जा रही हैं। इस राशि को जिला स्तर से सीधे ही जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों को हस्तानान्तरित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें:-

1. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) राजकीय विद्यालय की दीवार पर संलग्न प्रारूप - 'क' में 6 फुट (लम्बाई) X 4 फुट (चौड़ाई) का ऑयल पेन्ट से बेस तैयार कर ऑयल पेन्ट से ही लिखा जावेगा।
2. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) के बेस का रंग हल्का आसमानी एवं अक्षरों का रंग गहरा नीला रहेगा।
3. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) 28 फरवरी 2020 तक स्थापित करें।
4. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित किये जाने के पश्चात् विद्यालयों से प्रारूप-'ख' में जिला स्तर पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रारूप-'ग' में एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप-'घ' में 15 मार्च 2020 तक परिषद् कार्यालय की SWSHE-CELL को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों, विभागीय दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(डा.रश्मि शर्मा)
अति० राज्य परियोजना निदेशक-II

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-I/II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा , जिला- समस्त ।
7. रक्षित पत्रावली

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियंता

Scanned with CamScanner

प्रारूप "क"

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बाल सुरक्षा

आपातकालीन फोन नम्बर

संस्था प्रधान :–	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (महिला) :–	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (पुरूष) :–
स्थानीय पुलिस थाना –	पुलिस कन्ट्रोल रूम :– 100	चाइल्ड हैल्पलाइन :– 1098
स्थानीय चिकित्सालय –	ऐंम्बुलेन्स :– 108	गरिमा हैल्पलाइन :– 8764858500

विद्यार्थी क्या करें

1. विद्यालय में किसी भी संदिग्ध/अनजान व्यक्ति को लगातार देखें तो संस्था प्रधान/प्रभारी शिक्षक को बताएं।
2. बाहर जाते समय माता–पिता/शिक्षक/अभिभावक को जगह एवं जिसके साथ/पास जा रहे हैं, उसके बारे में बता कर जाएं।
3. किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से स्पर्श करने पर
   - डरें नहीं, जोर से चिल्लायें एवं मदद के लिये पुकारें।
   - जल्दी से उस स्थान से चले जाएं, किसी के पास अकेले न रूके रहें।
   - इस बात को छिपाकर नही रखें। मम्मी– पापा, शिक्षक/जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, उसको बताएं।
   - चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098/गरिमा हैल्पलाइन नम्बर 8764858500 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

विद्यार्थी क्या न करें

1. अनजान व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाएं और उसके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु जैसे टॉफी, चॉकलेट, खिलौना आदि ग्रहण नहीं करें।
2. यदि कोई व्यक्ति आपके परिवारजन के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने के बारे में आपको बताएँ एवं साथ ले जाने की कोशिश करे तो शिक्षकों/परिवारजनों/अभिभावकों से पूछे बिना उस व्यक्ति के साथ अकेले न जाएं।

शिक्षक/अभिभावक क्या करें जब बच्चा कुछ बताने लगे

1. बिना कोई प्रतिक्रिया दिये ध्यान से उसकी बात सुनें।
2. बच्चे पर दोषारोपण नहीं करें, उस पर विश्वास करें।
3. बच्चे को बहादुर बताते हुए उसकी प्रशंसा करें।
4. बच्चे को कहें कि उसका कोई दोष नहीं है।
5. बच्चे का साथ दें और उसे पीडित/अपराधी होने का अहसास न होने दें।
6. चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऐं।

Scanned with CamScanner

ब्लॉक स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र – 'ध'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु जिले के (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) एवं (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) विद्यालयों को जारी राशि में से व्यय राशि व

नाम ब्लॉक :–

क्र.सं.	जिला मुख्यालय से प्राप्त कुल राशि का विवरण रू.		ब्लॉक स्तर से विद्यालयों को जारी की गई राशि का विवरण रू.		विद्यालय द्वारा प्रदर्शन बोड बनाने पर व्यय कुल राशि रू.		शेष उपलब्ध राशि		
	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	जिला स्तर पर 8 (3–5)	ब्लॉक स्तर पर 9 (5–7)	व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

कनिष्ठ लेखाकार
समग्र शिक्षा, ब्लॉक ....

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, ब्लॉक ....

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "ख"

विद्यालय स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र–'ख'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु विद्यालय को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम विद्यालय .... पंचायत ....

विद्यालय डाइस कोड़ .... ब्लॉक .... जिला ....

क्र.सं.	विद्यालय को जारी की गई कुल राशि रू.	प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रू.	शेष उपलब्ध राशि

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्पले बोर्ड) बनवा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालय के लेखों में कर लिया गया है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान

Scanned with CamScanner

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विद्यालयों में शौचालयों, विद्यालय परिसर, एवं कक्षा कक्षा की नियमित सफाई तथा इस हेतु सफाई कार्य जॉब–बेसिस पर कराने हेतु निम्नानुसार निदेश जारी किये जाते है :–

1. विद्यालय के परिसर, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष एवं शौचालय की नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करवाई जानी सुनिश्चित करें। इस हेतु विद्यालय विकास कोष, विद्यार्थी कोष, रमसा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वच्छता राशि एवं वार्षिक विद्यालय अनुदान राशि में से, जनसहयोग/सीएसआर अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार व्यय की जावे। सत्रारम्भ में ही इस हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) से सहमति प्राप्त कर ली जावे।
2. सत्र के प्रारंभ में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की विशेष बैठक आयोजित कर उक्त सफाई व्यवस्था के लिये राजस्थान **लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 26** के अनुसार वित्तीय वर्ष में एक लाख रूपये से नीचे की सीमा में एवं एक अवसर पर दस हजार रूपये मूल्य तक कार्य/सेवा सिंगल कोटेशन के द्वारा कार्य करवाने की कार्यवाही करें। इस हेतु आवश्यक सहायक सामग्री यथा झाडू, फिनाईल, साबून आदि की खरीद भी कर ली जावे। शौचालय में पानी की व्यवस्था के लिये लगी पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिये मोटर आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाऐ।
3. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, विद्यालय परिसर, शौचालय की संख्या तथा विद्यालय के नामांकन के अनुरूप आवश्यकता का आंकलन कर सफाई कार्य हेतु जॉब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी अथवा व्यक्ति के सेवाऐ ली जाने हेतु सेवाओ के लिये आदेश जारी करावे। इस साफ–सफाई कार्य का भुगतान अग्रोलिखित मदों में से सामान्य वित्तीय एवं **लेखा नियम के पार्ट–III के पार्ट– II (आकस्मिक एवं विविध व्यय) के बिन्दु संख्या–01 के A के (2)** के अनुसार पार्ट टाईम वर्क के अकुशल कार्य में अधिकतम 1200 रूपये मासिक (कार्य की स्थिति के अनुसार, यदि कार्य चार घंटे से कम का है तो तद्नुरूप अनुपातिक) की जावे।
4. उक्त सफाई कार्य के प्रबोधन के एसडीएमसी/एसएमसी का कोई एक सदस्य, एक शिक्षक तथा एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के तीन सदस्य प्रति दिवस विद्यालय की समस्त साफ–सफाई का अवलोकन कर रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें प्रति दिवस हुई साफ सफाई की स्थिति को अंकित किया जाऐगा। इसी रिकार्ड के प्रमाणीकरण के आधार पर जॉब बेसिस पर हुए सफाई कार्य का भुगतान किया जाएगा।
5. विद्यालय में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) बिन्दु संख्या 01 से 04 की व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक सहयोग की राशि प्राप्त कर सकेगी तथा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) आवश्यकतानुसार प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त कर विकास शुल्क की राशि की समीक्षा कर पुनर्निधारण कर सकेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति / दिशा–निर्देश / 2019–20 / 7676 दिनांक 13/11/19

बालसभा दिशा–निर्देश
सत्र 2019–20

प्रस्तावना–

विगत वर्षो की भांति विद्यालय में नामांकन अभिवृद्धि तथा ठहराव, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, बालक–बालिकाओं का सर्वागीण विकास, शैक्षिक गतिविधियों में जनसमुदाय की सहभागिता में वृद्धि तथा विद्यालय संचालन में सहयोग, शिक्षकों का बालक–बालिका तथा जनसमुदाय के प्रति उत्तरदायित्व का अहसास आदि उद्देश्य प्राप्त किये जाने के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों में बालसभाओं का आयोजन किया जाना है।

उद्देश्यः–

1. विद्यालय में नामांकन अभिवृद्धि एवं ठहराव।
2. शिक्षा में गुणात्मक सुधार।
3. विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्षमता वर्द्धन।
4. दबाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण।
5. विद्यालय गतिविधियों में जनसमुदाय की अधिकतम सहभागिता।
6. संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों में बालक–बालिका तथा अभिभावकों के प्रति उत्तरदायित्व का अहसास।
7. शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सामुदायिक रूचि एवं सहयोग भावना का निर्माण।
8. सामाजिक सौहार्द एवं समन्वय में वृद्धि।
9. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अभिभावकों की रूचि एवं सहयोग प्राप्त करना।

वित्तीय प्रावधान

सार्वजनिक स्थानों पर बालसभाओं का आयोजन एक मात्र राजस्थान राज्य का ऐसा नवाचार है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान की गई है और इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 10 बालसभाओं के लिए 3000 रू प्रति विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए चार बालसभाओं हेतु 1200 रू प्रति विद्यालय का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है–

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	यूनिट कोस्ट	स्वीकृत कुल राशि (लाख में)
1	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	52539	3000 (300 रू प्रति विद्यालय 10 बालसभा हेतु)	1576.170
2	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय	14027	1200 (300 रू प्रति विद्यालय 4 बालसभा हेतु)	168.324
	कुल	66566		1744.494

बालसभा आयोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि का उपयोग विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कोई उपकरण अथवा अन्य सामग्री क्रय करने अथवा सत्र की अन्तिम बालसभा को विशाल बालसभा के रूप में आयोजित करने में व्यय किया जाए ताकि प्रावधित राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012–13 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें। उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार प्रेषित करावें

आयोजन की कियाविधि–

- वर्ष 2019–20 में माह जुलाई से माह अप्रैल तक अर्थात कुल 10 माह में प्रतिमाह कुल तीन बालसभाऐं की जानी है जिनमें से एक बालसभा अमावस्या के दिन जब अधिकांश ग्रामीण जनसमुदाय अपने निवास पर ही उपलब्ध रहते है, आयोजित की जानी है। यह बालसभा विद्यालय परिसर में न करके ग्रामीण आबादी के बीच चौपाल आदि सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जानी है। अमावस्या के दिन बालसभा आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालसभा में स्थानीय जनसमुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि विद्यालय की समस्त गतिविधियों की जानकारी स्थानीय जनसमुदाय को रहे तथा विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान में जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त हो। माह में अमावस्या के पूर्व के शनिवार एवं अमावस्या के बाद के शनिवार को बालसभा का आयोजन नही किया जाना है। शेष दो बालसभायें शनिवार को विद्यालय में ही आयोजित की जानी है। बालसभा आयोजन की माहवार तिथियॉ शिविरा पंचांग में अंकित की जा चुकी है।
- बालसभा के आयोजन से पूर्व पंचायत के सरपंच/वार्डपंच/प्रबुद्ध नागरिको से चर्चा कर बालसभा हेतु सार्वजनिक स्थान का चयन किया जायेगा।
- अमावस्या को आयोज्य बालसभा हेतु प्रत्येक बार भिन्न स्थान का चयन किया जायेगा।
- विद्यालय में माह के जिस शनिवार को बालसभा का आयोजन किया जाना है, प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर अन्तिम दो कालांशो अर्थात 80 मिनट में किया जायेगा। बालसभा का आयोजन 60 मिनट का होगा एवं 20 मिनट आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

- अमावस्या को आयोज्य बालसभा का आयोजन विद्यालय के सम्बन्धित गॉव/ढाणी के सुरक्षित एवं सर्वजनिक स्थान पर किया जायेगा। सार्वजनिक स्थल पर छात्र–छात्राओं को सुरक्षित पहुँचाने एवं पुनः विद्यालय लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की होगी।
- शिक्षा विभाग के जिलास्तरीय एवं ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर्स के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर बालसभा आयोजन में उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाये।
- बालसभा में बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेगें–
    1. **अभिव्यक्ति कौशलः**– वाद–विवाद, संस्कृत श्लोक वाचन, गीत, कविता, लोकगीत, कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख, अविस्मरणीय घटना सुनाना,नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, अन्त्याक्षरी, महापुरूषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।
    2. **सृजनात्मक कौशलः**– कबाड़ से जुगाड़, रंगोली, चित्रों में रंग भरना, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने का प्रदर्शन, मॉडल एवं चार्ट निर्माण, भित्ति पत्रिका निर्माण आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।
    3. **चिंतन, तार्किक कौशलः**– पहेलियॉ हल करना, विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन, क्विज एवं सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, सद साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।
    4. **सामुदायिक कौशल**– पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैंक कर्मी आदि की बारी–बारी से वार्ता कराना, दैनिक कामगार जैसे लकडी का काम करने वाला/मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर/किसान/सोने के आभूषण बनाने वाला/पेंटर/दुकानदार आदिक से उनके काम के बारे में जानना, संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन, राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।
    5. **सामाजिक, संवेदनशीलता कौशलः**–आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन, बाल संरक्षण से संबधित पीपीटी, Motivational Video, चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियॉ, वन एवं पर्यावरण क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, मीना, राजू मंच की गतिविधियॉ, पेड–पौधे लगाना एवं सुरक्षा आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।
    6. **शारीरिक कौशलः**– विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा–कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़ बोरी दौड़, रूमाल झपट्टा, सतोलिया आदि कार्यकम शमिल किये जा सकते है।

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानीय प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा उद्बोधन आदि अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती है।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु:–

- बालसभा हेतु निर्धारित यूनिट कॉस्ट से अधिक किसी भी स्थिति में खर्च ना करें।
- दान दाताओं एवं भामाशाहो का सहयोग लेकर समारोह को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
- बालसभा आयोजन के अगले दिवस तक अनिवार्य रूप से शालादर्पण पोर्टल पर फीडिंग करें।
- बालसभा अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

दायित्व –

- **संस्थाप्रधान के दायित्व–**

  बालसभा आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व बालसभा आयोजन की कार्ययोजना तैयार कर बालसभा में अधिकतम जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के दायित्व निर्धारित करना, अभिभावकों को आमंत्रित करना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना पीईईओ को अग्रेषित करना आदि। बालसभा आयोजन से अगले दिवस तक अनिवार्य रूप शालादर्पण पोर्टल पर सूचना फीड़ करना।

- **पीईईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त संस्थाप्रधानों से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करना, पंचायत स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभाओं का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना सीबीईओ को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

- **सीबीईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त पीईईओ से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित करना, ब्लॉकस्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभा का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना सीडीईओ को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

- **सीडीईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त सीबीईओ से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर परिषद् कार्यालय के सामुदायिक गतिशीलता अनुभाग को

www.rajteachers.com
Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

अग्रेषित करना, जिला कलेक्टर्स के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विभिन्न जिलास्तरीय विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभा का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना परिषद् कार्यालय को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/दिशा–निर्देश/2019–20/7676 दिनांक :13/11/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2712376 Email ID - rajssa_pfe@yahoo.co.in

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / CSG / 2018–19 / दिनांकः–

दिशा–निर्देश सत्र 2018–19
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (COMPOSITE SCHOOL GRANT)

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य– सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2017–18 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / केजीबीवी / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तान्तरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु पीईईओ विद्यालय की प्रबंधन समिति के बैंक खाते में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु सीधे ही विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी साथ ही कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में विद्यालयवार राशि की सूची प्रेषित की जायेगी। जिला कार्यालय द्वारा जारी की गई भुगतान स्वीकृति को शाला दर्शन व शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

S.No.	Number of students in School	School Grant
1	1-15	Rs. 12500 (Including atleast Rs. 1250 for Swachhta Action Plan)
2	16-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

नोट :– मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

विद्यालय स्तर :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

- विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
- दरी पट्टी/दरी।
- श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
- चॉक, डस्टर।
- परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
- पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।
- एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
- विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।
- विज्ञान व गणित विषय के ई–कंटेन्ट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
- प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
- अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
- शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
- प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु ।
- इन्टरनेट संबंधी कार्य।
- वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
- शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
- अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
- छात्र हित में अन्य आवर्ती मदों हेतु।

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावें। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यो हेतु ही किया जा सकेगा :

- विद्यालय के शौचालय /मूत्रालयो का नियमित उपयोग एंव रख –रखाव ।
- शौचालय /मूत्रालयो की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड,टायलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए ।
- MDM से पूर्व व शौचालय उपयोग उपरान्त छात्र –छात्राओं को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय में रनिग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखाने के लिए
- बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
- कक्षा–कक्षो एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा प्रात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
- बालिका शौचालय के साथ इन्सीनरेटर लगाने /निर्माण के लिए।
- पेयजल स्त्रोत को ठीक करवाने के लिए ।

Scanned with CamScanner

कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
6. उपयोग के तत्काल पश्चात या प्रत्येक तिमाही पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक / CRC/ PEEO के माध्यम से तीन प्रतियों में समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें जिससे समय पर इसका समायोजन हो सके। राशियों का माह दिसम्बर तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

ध्यान देने योग्य बिन्दु:–

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से वित्तीय नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईटी लैब को प्राथमिकता से कियाशील बनाना।

दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :–

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
2. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. पीईईओ से वित्तीय वर्ष 2018–19 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बीईईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
4. जिले का वित्तीय वर्ष 2018–19 का कम्प्रेजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

Scanned with CamScanner

दायित्व बीईईओ कार्यालय :-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
3. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018-19 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

दायित्व पीईईओ कार्यालय :-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 की एडीपीसी कार्यालय से प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि को अधीनस्थ विद्यालयों के एसएमसी खाते में हस्तान्तरित करना।
2. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा-निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 पीईईओ विद्यालय एवं पीईईओ अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :-

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
5. शहरी क्षेत्र के समस्त विद्यालय सत्र 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर) की पूर्ति कर बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

विशेष :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

Scanned with CamScanner

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड........................
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये..................का चैक संख्या.......................... बैक.............................. शाखा..............................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय पीईईओ.......................... ब्लॉक .... जिला ....
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में पीईईओ .... ब्लॉक .... जिला .... के ....प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक,......................, माध्यमिक .... एवं उच्च माध्यमिक .... विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

Scanned with CamScanner

जिला स्तर

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में जिला .... को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन न: 0141– 2700870 E-mail- rajssa_as@yahoo.co.in

क्रमांक – रास्कूलशिप/जय/वै.शि./2018–19/ दिनांक :–

<u>ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना– दिशा निर्देश 2018–19</u>

<u>राजकीय विद्यालयो की कक्षा 9–12</u>

<u>एवं</u>

<u>स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 6–12 की बालिकाओं हेतु</u>

1.0 प्रस्तावना

1.1 वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत एवं निःशुल्क साइकिल अप्राप्त बालिकाएं जो 5 किमी से अधिक दूरी से आ रही है, उन्हें ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2016–17 से ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वाँछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु उनके निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत बालिका एकल व सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया जा रहा है। छात्रा उक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

1.2 राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है।

1.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में आसपास के गांवो/ढाणियों से कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाऐं भी अध्ययन हेतु आती है।

1.4 पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

Scanned with CamScanner

2.0 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

2.1 ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाऐं योजना के लाभ हेतु पात्र होगी।

I. उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।

II. उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।

2.4 साईकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं इस ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

3.0 ट्रॉंसपोर्ट योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 11 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

III. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु-

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8	2 किमी. से अधिक	20 रूपये
कक्षा 9 से 12	5 किमी. से अधिक	25 रूपये

Scanned with CamScanner

4.0 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

4.1 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं जिला स्तर पर एडीपीसी, माध्यमिक तथा विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा किया जावेगा।

4.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षिणक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्राँसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

4.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्राँसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्राँसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर बिन्दू संख्या 3 में दर्शायी गई राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

4.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्राँसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रपत्र–क प्रस्तुत करने पर छात्राओं को बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5. ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना का दाांयित्व निर्धारण

5.1 राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान का दायित्व

a. ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी, माध्यमिक को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

b. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि तीन किश्तों में जिलों को प्रेषित की जावेगी। प्रथम किश्त– माह अप्रेल से जून, द्वितीय किश्त– माह जुलाई से दिसम्बर एवं तृतीय किश्त– माह जनवरी से मार्च देय होगी।

c. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र बालिकाओं की संख्या एवं शिविरा कलेण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों के अनुसार अग्रिम राशि जिलों को बिन्दु संख्या– 5.1 b अनुसार तीन किश्तों में प्रेषित की जावेगी।

d. जिलों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रेल से जून की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

Scanned with CamScanner

e. जिलों को माह जुलाई से सितम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह अप्रेल से जून की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी। माह अक्टूबर से दिसम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह जुलाई से सितम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी। इसी प्रकार माह जनवरी से मार्च की भेजी जाने वाली राशि माह अक्टूबर से दिसम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

5.2 डीपीसी/एडीपीसी (रमसा) के दायित्व

a. एडीपीसी, माध्यमिक द्वारा राशि सीधे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों SDMC/ SMC के खातों में हस्तान्तरित की जायेगी।

b. मावि/उमावि को वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रेल से जून की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 की ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

c. मावि/उमावि को माह जुलाई से दिसम्बर की भेजी जाने वाली राशि माह अप्रेल से जून की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी एवं इसी प्रकार विद्यालयों को माह जनवरी से मार्च की भेजी जाने वाली राशि माह जुलाई से दिसम्बर की भेजी गई राशि में से शेष राशि को समायोजित कर भेजी जावेगी।

d. वित्तीय वर्ष 2018–19 का सभी ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

5.3 बीईईओ के दायित्व

a. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9–12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगे।

b. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018–19 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एडीपीसी, माध्यमिक को प्रेषित करेंगे।

5.4 संस्थाप्रधान के दायित्व

a. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पात्र छात्राओं/उनके अभिभावकों द्वारा ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र– क में प्रार्थना पत्र संस्थाप्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।

b. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन प्रपत्र– क में दिये गये तथ्यों की जॉच कर ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु आवेदित विद्यार्थियों की सूची प्रपत्र–2 को विद्यालय की SMC/SDMC से अनुमोदित करवाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

c. संस्थाप्रधान द्वारा सूची प्रपत्र–2 अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर की जायेगी।

d. विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जावेगा।

e. यदि छात्राओं द्वारा ट्रॉंसपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वास्तविक किराया अथवा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि जो भी कम हो, उस राशि को SDMC/SMC से अनुमोदन पश्चात् विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया जायेगा।

f. एसडीएमसी / एसएमसी द्वारा छात्राओं को किया जाने वाला भुगतान उनके भामाशाह खाता / बचत खाते में जमा कराया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जावे।

g. अनुमोदित वार्षिक बजट 2018–19 के अनुसार कक्षा 9–12 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र बालिकाओं को शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रति बालिका रूपये 5400 / – से अधिक राशि देय नहीं होगी।

h. एडीपीसी कार्यालय से माह अप्रेल से जून की प्राप्त अग्रिम राशि में से वितरण पश्चात् शेष राशि की सूचना माह जुलाई में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

i. एडीपीसी कार्यालय से माह जुलाई से सितम्बर की प्राप्त अग्रिम राशि में से वितरण पश्चात शेष राशि की सूचना माह अक्टूबर में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। माह अक्टूबर से दिसम्बर की प्राप्त राशि में से वितरण पश्चात शेष राशि की सूचना माह जनवरी में एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार माह जनवरी से मार्च की प्राप्त राशि में से वितरण पश्चात शेष राशि की सूचना माह अप्रेल में उपयोगिता प्रमाण–पत्र द्वारा बीईईओ के माध्यम से एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

आवेदन प्रपत्र–क

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र (केवल बालिकाओं हेतु)

1. छात्रा का नाम :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. विद्यालय का नाम :
4. कक्षा :
5. निवास स्थान :
6. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी :
7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :

i.	**SDMC/SMC** के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था	हाँ/नहीं
ii.	स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था	हाँ/नहीं

8. निःशुल्क साइकिल : प्राप्त /अप्राप्त
9. अन्य जानकारी (जो देना चाहे)

(अभिभावक के हस्ताक्षर) **(छात्रा के हस्ताक्षर)**

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–2

SMC/SDMC द्वारा जांच एवं अनुशंषा

विद्यालय का नाम : ....

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई जिसमें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित बालिकाओं के आवेदनों की जांच कर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता शर्त संख्या 2 के अनुसार योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा करती है।

क्र.स.	बालिका का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	कक्षा	एस.आर. संख्या

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

Scanned with CamScanner

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

अप्रेल 2018 से मार्च 2019 तक

(संस्थाप्रधान बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करें)

मावि/उमावि का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थानीय विद्यालय को प्राप्त राशि में से विद्यालय की कक्षा 9–12 की पात्र बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि उनकी मासिक उपस्थिति के आधार पर बालिकाओं के खातों में हस्तान्तरित करने पश्चात विद्यालय में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष 2018–19 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की कुल वितरित राशि	विद्यालय में शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम

संस्थाप्रधान

....

Scanned with CamScanner

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

अप्रेल 2018 से मार्च 2019 तक

(बीईईओ कार्यालय एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करें)

बीईईओ कार्यालय ....

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय ब्लॉक के समस्त माध्यमिक विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018–19 की कक्षा 9–12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.स.	ब्लॉक में कुल मावि/उमावि की संख्या	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्राप्त कुल राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल वितरित राशि	ब्लॉक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की कुल शेष राशि

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
बीईईओ

....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

अप्रेल 2018 से मार्च 2019 तक

(एडीपीसी कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रेषित करें)

एडीपीसी कार्यालय ....

प्रमाणित किया जाता है कि एडीपीसी कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2018–19 में कक्षा 9–12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत प्राप्त कुल राशि रू0 .... में से कुल राशि रू0......................... का उपयोग कर लिया गया है एवं कुल राशि रू0 .... शेष है।

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं नाम
एडीपीसी, माध्यमिक

Scanned with CamScanner

RCSE

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532
E-mail: rajrmsaplan@gmail.com

क्रमांकः राप्राशिप/जय/ ट्रांसपोट वाउचर/2017–18/ 976 दिनांकः 05/02/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए,
समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए,
समस्त जिले।

विषयः– राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिये जारी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017–18 संबंधी दिशा निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संबंधी दिशा निर्देश आदेश क्रमांक प.21(33)प्रारंभिक शिक्षा/आयोजना/2017 जयपुर दिनांक 18.12.2017 (प्रति संलग्न) को जारी किये गये है, जिसके द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है –

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –
   - ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिका, जिनके वास स्थान से 1 किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
   - ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक/बालिका, जिनके वास स्थान से 2 किमी की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर –

कक्षा	वास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
1 से 5	एक किमी से अधिक	10 रूपये
6 से 8	दो किमी से अधिक	15 रूपये

शासन द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देश तथा पात्रता के आधार एवं भुगतान हेतु निर्धारित राशि की दर को निम्न निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाकर योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित की जानी है–

I. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत भुगतान की पात्रता निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत ऐसे किसी भी विद्यार्थी को योजना का लाभ देय नहीं होगा जिसके निवास स्थान के क्रमशः 1 किमी की परिधि में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किमी की परिधि में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है, परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से वह वर्तमान विद्यालय में अध्ययनरत है, भले ही उसके निवास

Scanned with CamScanner

स्थान से उसके अध्ययनरत विद्यालय की दूरी 1 किमी0 एवं 2 किमी0 (क्रमशः प्राथमिक कक्षा एवं उच्च प्राथमिक कक्षा की निर्धारित दूरी) से अधिक हो।

II. उक्त योजना फिलहाल केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में ही देय है। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में यह देय नहीं है। उक्त योजना का लाभ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के उन विद्यार्थियों को भी उपलब्ध रहेगा जो शासन के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार निवास स्थान से विद्यालय की दूरी के आधार पर पात्रता रखते है।

III. इस योजना के लाभान्वित समस्त विद्यार्थी सामान्यतः 6 से 14 आयुवर्ग के होंगे जो अवयस्क होते है। अवयस्क का अपना पृथक बैंक खाता नहीं होता अपितु बैंक खाता माता–पिता अथवा अभिभावक के संरक्षण में होता है। अतः उक्त राशि का भुगतान, जहाँ सामूहिक परिवहन की व्यवस्था एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा नहीं की गई हो, विद्यार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में जो कि उनके द्वारा विद्यालय में अंकित कराया गया है, में किया जाएगा। जहां तक संभव हो भुगतान ऑन–लाईन किया जावे। जहां ऑन लाईन संभव नहीं हो, वहां चैक से किया जावे।

IV. इस योजना के अन्तर्गत राशि का वित्तीय प्रबंधन योजना के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.17 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार किया जावेगा। राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बिन्दु संख्या 5.8 की प्रक्रिया अपनाई जाकर पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अन्तर्गत राशि का भुगतान जनवरी माह के लिए स्वीकृति तिथि 25.01.2018 से 31 जनवरी तक का पुर्नभुगतान तथा फरवरी 2018 माह से प्रतिमाह अग्रिम किया जाएगा। (राप्राशिप के पत्रांक : राप्राशिप/जय/वै.शि./ट्रांसपोर्ट वाउचर/2017–18/2546 दिनांक 25.01.2018 के अनुसार)

V. जिस विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जाती है, वहां पर भुगतान अग्रिम नहीं किया जाकर माह की समाप्ति पर एक सप्ताह की अवधि में परिवहन सुविधा प्रदाता के बैंक अकाउण्ट में ऑनलाईन किया जावे।

VI. आगामी माह में राशि का आवंटन गत माह के लिए आवंटित की गई अग्रिम राशि में से विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए एवं शेष राशि मिलाते हुए किया जाएगा।

VII. यह प्रक्रिया इसी प्रकार पूरे शैक्षिक सत्र में अपनायी जाएगी।

VIII. शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर दिशा निर्देशानुसार ऑनलाईन अपडेशन प्रति माह 5 तारीख तक अनिवार्यरूप से कराया जावे।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, रामाशिप, जयपुर
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
8. उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
10. एनआईसी, तकनीकी अधिकारी जयपुर।
11. रक्षित प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन– 0141–2715565 E-mail ID– smsa.asfe@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/AS&FE/ /CRC Grant दिशा-निर्देश/2019–20/ 6864 दिनांकः– 17/10/19

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2019–20

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2019–20 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्य संचालन बाबत संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी, समग्र शिक्षा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सत्र में पीईईओ एवं शहरी सीआरसी हेतु कुल 61,64,97,000/– लाख रूपये का उपयोग किया जाना है। जिलेवार स्वीकृत राशि विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है –

1. <u>कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट</u> से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी।
2. <u>मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स</u> द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
3. <u>टीएलएम ग्रान्ट</u> से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
4. <u>मोबिलिटी सपोर्ट ग्रान्ट</u> का उपयोग सीआरसी विद्यालय के संस्था–प्रधान अपने अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा।

B) उपयोग (व्यय) हेतु सामान्य निर्देश –

1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित की जायेगी तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी सीआरसी को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

3. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
4. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा सीआरसी के पुनर्गठन/नवीनीकरण के पश्चात प्राप्त अद्यतन सीआरसी की संख्या के अनुपात में गणना कर राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही परिषद कार्यालय द्वारा की जायेगी।
6. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

C) मॉनीटरिंग –

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2019–20 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।

D) उपयोगिता प्रमाण पत्र –

1. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र–1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र–2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र–3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
एवं सह विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर।

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/AS&FE/2019–20/ 6864 दिनांकः 17/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5- नियंत्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
7- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11- रक्षित प्रति।

17/10/19
अति0 राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रपत्र –1

ब्लॉक .... जिला ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम ....

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में प्राप्त संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) राशि रू. .... का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि........... है एवं शेष राशि ....व पूर्व अवशेष राशि रू0 .... कुल राशि रू0 .... बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.................. दिनांक .... द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है. इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जावेगा।

क्र. सं.	मद का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर

प्रभारी सीआरसी

....

प्रपत्र –2

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC .... को सत्र 2019–20 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है। ब्लॉक कार्यालय को प्राप्त कुल राशि में से व्यय की गई राशि पश्चात .... राशि बचत के रूप में शेष है।

क्र. सं.	मद का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर

बीआरसी प्रभारी/ CBEO

....

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –3

जिला ....

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... सीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। जिले को प्राप्त कुल राशि में से ब्लॉक कार्यालयों द्वारा व्यय की गई राशि पश्चात .... राशि बचत के रूप में शेष है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं 0141-2709114

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स 0141-2701022

क्रमांक रास्कूशिप / जय / सामु.गति / एसएमसी / 2018-19 / 11535 दिनांक 1/2/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिला।

विषय–एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व में एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों के लिए दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण करवाने हेतु परिषद् के दिशा-निर्देश क्रमांक 15(31) रा.स्कू.शि.प. / जय / सामु.गति. / प्रबंधन मद / दिशा निर्देश / 2018-19 / 6607 दिनांक 20 / 09 / 18 जारी किए गए है। अतः एसएमसी / एसडीएमसी के दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के स्थान पर एक दिवसीय एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। इस हेतु परिषद स्तर से भुगतान स्वीकृति क्रमांक रास्कूशिप / जय / सामु.गति / 2018-19 / 11506,11508 दिनांक 01.02.2019 जारी की जा चुकी है।

चुकि प्रशिक्षण मॉड्यूल दो दिवस का है, अतः मुख्यतः बिन्दुओ को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण का आयोजन एक दिवस में किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु बजट प्रावधान निम्नानुसार है–

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 7500/-

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण–संभागी × दिन × दर

30 × 1 × 230 = 6,900/-

शेष * राशि में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाना है।

क्र.सं.	विवरण	दिवस	दर	संभागी	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियो को नकद भुगतान(वास्तविक)	1	140	30	4200
2	जलपान (चाय–नाश्ता)	1	40	30	1200
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	1	400	2	800
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	1	550	-	550
5	व्यवस्थापक को मानदेय	1	150	1	150
	योग				**6900**
	शेष *				**600**
	महायोग				**7500**

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(रामनिवास जाट)
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

2019-20

- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :-

विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रुपये प्रति व्यक्ति दो दिवस में से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 460/- रुपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार की जाए एवं शेष * राशि 1200 रु में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 15000/-

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण–संभागी × दिन × दर

30 × 2 × 230 = 13,800/-

क्र.सं.	विवरण	दिवस	दर प्रतिदिन	संभागी	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान(वास्तविक)	2	140	30	8400
2	जलपान (चाय–नाश्ता)	2	40	30	2400
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	400	2	1600
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि .	2	550	-	1100
5	व्यवस्थापक को मानदेय	2	150	1	300
	योग				13800
	शेष *				1200
	महायोग				15000

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करावें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम :________ प्रशिक्षण दिनांक :________

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति /विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी/ एसडीएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी/ एसडीएमसी के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 0141-2715565 Email ID- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/AS&FE/47-8 /Sports Grant दिशा-निर्देश/2019-20/ 9886 दिनांक:- 3/2/2020

स्पोर्ट्स ग्रान्ट दिशा-निर्देश 2019-20
(खेले भारत - खिले भारत)

खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा इससे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायता मिलती है, जो हमारे दिमागी विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक विकास की शुरुआत हमारे स्कूल के दिनों से होना प्रारम्भ हो जाती है, किन्तु शारीरिक विकास के लिए व्यायाम जरूरी है, जो हमें खेलों के माध्यम से प्राप्त होता है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। खेलने से शरीर चुस्त-दुरुस्त, गतिशील एवं स्फूर्तिमय होता है। साथ ही खेल भावना से खेले गये खेल से पारस्परिक सौहार्द व टीम भावना जाग्रत होती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह अनिवार्य है कि खेल और शिक्षा दोनों को ही बराबर का महत्व दिया जाये। बच्चों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए पीएबी 2019-20 में "खेले भारत-खिले भारत" के तहत स्पोर्ट्स ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है।

पीएबी 2019-20 की स्वीकृति अनुसार राज्य के 32445 प्राथमिक विद्यालयों, 20094 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं 4031 माध्यमिक विद्यालयों तथा 10071 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा के तहत राशि रूपये 6956.21 लाख अनुमोदित की गई है। <u>भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों DO No. 17-3/2018-IS-5(Pt. 1) दिनांक 24.12.2018 के अनुसरण में इस राशि का उपयोग किया जाना है। जारी विस्तृत निर्देश संलग्न है, जिनके अनुसार कार्यवाही की जानी है। जारी दिशा निर्देशों के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है।</u>

प्रावधित राशि -

- **प्राथमिक विद्यालयों के लिए - 5,000 रूपये प्रति वर्ष**
- **उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए - 9,000 रूपये प्रति वर्ष**
- **माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए - 25,000 रूपये प्रति वर्ष**

1. <u>खेल अनुदान राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश:-</u>
   - विद्यालयों को खेल अनुदान राशि का उपयोग आयु अनुरूप खेल सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने में किया जाना है।
   - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चयनित आयु अनुरूप खेल सामग्री/उपकरणों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।
   - **एसएमसी/एसडीएमसी विद्यालयों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय तथा विद्यार्थियों की उपयोगिता अनुसार ही खेल सामग्री क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।**
   - **सूची की खेल सामग्री के अतिरिक्त विद्यालय में खेल सुविधाओं की उपलब्धता अनुसार विद्यालय एवं छात्रों के लिए उपयोगी अन्य खेल सामग्री भी क्रय की जा सकेगी।**
   - **सूची में उल्लेखित खेल सामग्री से पृथक खेल सामग्री क्रय करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी को स्वीकृति आदेश जारी करना होगा।**
   - विद्यालयों में क्षेत्रीय एवं परंपरागत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कम कीमत वाली खेल सामग्री एवं उपकरणों को क्रय किया जा सकेगा।
   - निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में आयोजित होने वाले खेलों की खेल सामग्री को क्रय किये जाने में खेल अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

- खेल अनुदान राशि द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
- स्टॉक रजिस्टर में कार्यशील सामग्री, मरम्मत योग्य सामग्री एवं खारिज योग्य सामग्री नाम से तीन श्रेणियों में खेल सामग्री/उपकरणों का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
- नवीन खेल सामग्री/उपकरण इस प्रकार क्रय की जायेगी जिससे विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण का आवश्यक स्टॉक सदैव उपलब्ध रहे।
- विद्यालय के शारीरिक शिक्षक/ खेल प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा खेल सामग्री/उपकरणों एवं खेल सहायक सामग्री का रख–रखाव किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार सामग्री के क्रय में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
- राशि व्यय / उपयोग के उपरान्त अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को प्रेषित किये जावें।

एमएचआरडी द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री / उपकरणों की सूची (कक्षा 1 से 5)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (रु0)	संख्या	कुल लागत (रु0)
प्लास्टिक क्रिकेट बॉल–साईज 2	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1–2	160	2	320
लकड़ी का क्रिकेट बैट – आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1–2	250	1	250
क्रिकेट स्टम्प सैट	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 1–2	380	1	380
सॉफ्ट बॉल (छोटी)	छोटे बच्चों के लिए फेंकना और पकड़ना, ड्रिबलिंग, किकिंग कौशल सिखाना	कक्षा 1–2	99	1	99
टेनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने जैसे कौशल का निर्माण करता है	कक्षा 1–2	45	4	180
प्लास्टिक बॉल	प्लास्टिक बॉल का उपयोग ज्यादातर हड़ताली खेलों में इस्तेमाल किया जाता है और हाथ से आँख का समन्वय विकसित करना	कक्षा 1–2	10	10	100
पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल– आकार 3	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 1–2	300	1	300
बास्केट बॉल	बास्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 1–2	205	1	205
रग्बी सॉफ्ट बॉल	छोटे बच्चों के लिए हाथ से आँख का समन्वय विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है	कक्षा 1–2	135	1	135
फ्रिस्बी	परम फ्रिसबी का खेल खेलने। मनोरंजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से आँख का समन्वय विकसित करना	कक्षा 1–2	75	1	75
मल्टी कलर्ड हूला हूप	फिटनेस और समन्वय विकसित करना	कक्षा 1–2	110	3	330
सोसर कोन	सभी खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि के लिए ग्राउंड मार्किंग का अच्छा विकल्प है।	कक्षा 1–2	10	10	100
बीन बैग्स	जुगाली करना, उछालना, पकड़ना, फेंकना आदि गतिविधियां	कक्षा 1–2	30	4	120
बीन बैग्स –स्कॉर्क	जुगाली करना, उछालना, पकड़ना आदि गतिविधियां	कक्षा 1–2	32	5	160
6'' स्टेप हर्डल	फुर्ती और कूदने/उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है	कक्षा 1–2	65	3	195
12 फीट पैराशूट	बच्चों की भुजाओं की मजबूती, समन्वय तथा स्पेस की जानकारी के लिए	कक्षा 1–2	550	1	550
फुट पम्प बास्केट बॉल– आकार 3	फुटबॉल, बास्केट बॉल आदि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना	कक्षा 1–2	640	1	640
शॉट पुट (रबड़)	शॉट पुट के लिए उपयोग	कक्षा 3–5	330	1	330
डिस्कस (रबड़)	डिस्कस थ्रो के लिए उपयोग	कक्षा 3–5	330	1	330
फोम जैवलीन	बच्चों को जैवलीन फेंकने की सही तकनीकि सिखाने के लिए	कक्षा 3–5	150	1	150
कुल					4949

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

एमएचआरडी द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री/उपकरणों की सूची (कक्षा 6–8)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (रू0)	संख्या	कुल लागत (रू0)
शॉट पुट (रबड़)	शॉट पुट के लिए उपयोग	कक्षा 6–8	330	1	330
डिस्कस (रबड़)	डिस्कस थ्रो के लिए उपयोग	कक्षा 6–8	330	1	330
स्किपिंग रोप	स्किपिंग रोप में उपयोग	कक्षा 6–8	100	5	500
लकड़ी का क्रिकेट बैट – आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 6–8	265	2	530
टैनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने के लिए उपयोग	कक्षा 6–8	45	6	270
पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	320	2	640
वॉलीबॉल नेट	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	500	1	500
हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	हैण्डबॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	390	2	780
थ्रो बॉल	थ्रोबॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	375	2	750
रग्बी बॉल	हाथ से आँख का समन्वय विकसित करने के लिए उपयोग	कक्षा 6–8	260	1	260
बास्केट बॉल	बास्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	370	1	370
पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल – आकार 4	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 6–8	425	2	850
फ्रिस्बी	परम फ्रिस्बी का खेल खेलने। मनोरंजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ की आँख समन्वय बनाता है	कक्षा 6–8	75	2	150
फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	फुर्ती/चपलता हेतु उपयोग	कक्षा 6–8	240	1	240
6'' स्टेप हर्डल	फुर्ती और कूदने/उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमीटर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 6–8	65	2	130
9'' स्टेप हर्डल	फुर्ती और कूदने/उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमीटर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 6–8	74	3	222
मार्किंग कोन 1 से 9 नंबरों के साथ	बाउन्ड्रियों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना	कक्षा 6–8	32	9	288
मार्किंग कोन 12''	बाउन्ड्रियों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना	कक्षा 6–8	44	4	176
सॉसर कोन	सभी खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि के लिए ग्राउंड मार्किंग का अच्छा विकल्प है।	कक्षा 6–8	10	20	200
नायलॉन विब्स पीन	नायलॉन बिब में पक्ष लोचदार होते हैं और विभिन्न आयु समूहों में उपयोग किए जा सकते हैं। मैच खेलने के दौरान टीमों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है	कक्षा 6–8	50	11	550
फुट पम्प बॉस्केट बॉल– आकार 3	फुटबॉल, बॉस्केट बॉल आदि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना	कक्षा 6–8	640	1	640
फस्ट एड किट	छोटी चोटों हेतु	कक्षा 6–8	1300	1	1300
	कुल				10006

एमएचआरडी द्वारा प्रस्तावित खेल सामग्री / उपकरणों की सूची (कक्षा 9 से 12)

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (रू0)	संख्या	कुल लागत (रू0)
स्किपिंग रोप	स्किपिंग रोप में उपयोग	कक्षा 9–12	100	6	600
शॉट पुट (रबड़)	शॉट पुट के लिए उपयोग	कक्षा 9–12	330	4	1320
डिस्कस (रबड़)	डिस्कस थ्रो के लिए उपयोग	कक्षा 9–12	330	4	1320
बैडमिंटन रैकेट	बैडमिंटन में उपयोग हेतु। स्ट्रेकिंग स्कील व हाथ से आँख का समन्वय विकसित करना	कक्षा 9–12	500	6	3000
बैडमिंटन शटल	बैडमिंटन में उपयोग हेतु	कक्षा 9–12	30	20	600
लकड़ी का क्रिकेट बैट – आकार 4	क्रिकेट में उपयोग	कक्षा 9–12	265	4	1060
टैनिस बॉल	क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कौशल को पकड़ने और फेंकने के लिए उपयोग	कक्षा 9–12	45	20	900
थ्रो बॉल	थ्रोबॉल में उपयोग		375	2	750
पीयू वॉलीबॉल – आकार 4	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 9–12	320	3	960
वॉलीबॉल नेट	वॉलीबॉल में उपयोग	कक्षा 9–12	500	1	500
हैण्डबॉल –आकार 1 (50–52 सेमी)	हैण्डबॉल में उपयोग	कक्षा 9–12	390	2	780
बॉस्केट बॉल	बॉस्केट बॉल में उपयोग	कक्षा 9–12	370	2	740
रग्बी बॉल	हाथ से आँख का समन्वय विकसित करने के लिए उपयोग	कक्षा 9–12	260	2	520
पीयू हैण्ड स्टिच फुटबॉल –आकार 5	फुटबॉल में उपयोग	कक्षा 9–12	425	4	1700
पॉप अप फुटबॉल गोल्स पोस्ट बिग	पोर्टेबल फुटबॉल गोल्स पोस्ट फॉर स्मॉल साईडेड गेम्स	कक्षा 9–12	625	2	1250
फुटबॉल गोल्स पोस्ट 6 फिट x 3.5 फिट	पोर्टेबल फुटबॉल गोल्स पोस्ट फॉर स्मॉल साईडेड गेम्स विथ गोल कियर्स	कक्षा 9–12	1600	2	3200
फुट पम्प	फुटबॉल, बॉस्केट बॉल आदि का उपयोग करने के लिए	कक्षा 9–12	640	2	1280

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

खेल सामग्री	उपयोग	कक्षा	सांकेतिक मूल्य (रू0)	संख्या	कुल लागत (रू0)
	प्रेरित करना				
फर्स्ट एड किट	छोटी चोटों हेतु	कक्षा 9–12	1300	1	1300
फ्रिस्बी	परम फ्रिस्बी का खेल खेलने। मनोरंजक खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ से आँख का समन्वय विकसित करना	कक्षा 9–12	75	2	150
सॉसर कोन	सभी खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि के लिए ग्राउंड मार्किंग का अच्छा विकल्प है।	कक्षा 9–12	10	40	400
फुर्ती/चपलता की सीढ़ी	फुर्ती/चपलता हेतु उपयोग	कक्षा 9–12	240	2	480
9'' स्टेप हर्डल	फुर्ती और कूदने/उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमीटर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 9–12	74	6	444
12'' स्टेप हर्डल	फुर्ती और कूदने/उछलने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एवं लोकोमीटर का कौशल विकसित करने के लिए	कक्षा 9–12	80	6	480
रिलेव बेटोन्स	रिलेय दौड़ में उपयोग		74	3	222
मार्किंग कोन 1 से 9 नंबर्स के साथ	बाउन्ड्रियों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना		32	9	288
मार्किंग कोन 12''	बाउन्ड्रियों को मार्क व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को स्थापित करना		44	4	176
नायलोन बिब्स बीन	नायलॉन बिब मे पक्ष लोचदार होते हैं और विभिन्न आयु समूहों मे उपयोग किए जा सकते हैं। मैच खेलने के दौरान टीमों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है		50	11	550
	कुल				24970

2. <u>कक्षा अनुसार सुझावात्मक खेल गतिविधियाँ</u>:–

:: प्राथमिक वर्ग ::

I- खेल गतिविधि अनुसार कौशल विकास –

- हस्त कौशल (कैचिंग, थ्रोईंग, किकिंग आदि)
- लोकोमोटर कौशल (रनिंग, जंपिंग, होपिंग, गैलपिंग आदि)
- शरीर प्रबंधन कौशल (बैलेंस और स्थिरता)

II- आनंद दायक खेल –

- बॉल बैडमिंटन, हैंडबॉल, हॉकी, कराटे, कुश्ती, किक बॉक्सिंग, योगा।
- व्यक्तिगत खेल (जैसे– स्कैटिंग, रस्सी स्किपिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, किक–बॉक्सिंग)
- सामुहिक खेल
  - आक्रमण के खेल (जैसे– बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल)
  - रैली गेम्स (जैसे– टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, वॉलीबॉल)
  - इनिंग गेम्स (जैसे– क्रिकेट, खो–खो, राउंडर्स, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, स्टूलबॉल)
  - पारंपरिक भारतीय खेल
  - ओलंपिक में शामिल खेल
  - योगा
  - पैराओलंपिक में शामिल खेल

III- पारम्परिक भारतीय स्वदेशी खेल –

- कबड्डी
- खो–खो
- घेरा रोलिंग (घेरा / टायर रोलिंग)
- आंख मिचौली
- पिट्ठू
- रस्साकशी
- बोरा दौड़
- कन्चे (कौडी)

IV- अन्य क्षेत्रीय खेल –

- अट्टा पट्टू
- लंगड़ी
- सितोलिया
- कैरम
- जूडो
- खो–खो
- मलखंब
- रोलर स्केटिंग
- शूटिंग बॉल
- सॉफ्ट टेनिस
- स्क्वॉश
- रस्साकशी
- योगा
- लूडो

मुख्यधारा के खेल (एथेलेटिक्स के अलावा, जिमनास्टिक्स, तैराकी) को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात् प्रादेशिक, नेट / बॉल गेम एवं क्षेत्ररक्षक में विभाजित किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

V- प्रादेशिक खेल –

प्रादेशिक खेल वे है जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करती हैं जो आक्रामक और रक्षात्मक खेलने की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लक्ष्य एक प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को स्कोर करने के लिए आक्रमण करना है। स्कोरिंग एक विशेष लक्ष्य के लिए प्रोजेक्टिंग एवं ऑब्जेक्ट (जैसे एक गेंद) द्वारा हासिल की जाती है, गेंद को लक्ष्य क्षेत्र में सटीक रूप से शूट किया जाता है या गेंद को एक खुले सिरे वाले लक्ष्य (जैसे एक रेखा के पार) में स्थानांतरित किया जाता है। जो निम्न है:–

- बास्केटबॉल
- हॉकी
- रग्बी
- हैंडबाल
- नेटबॉल
- फुटबॉल

VI- नेट/ वॉल गेम –

नेट/ वॉल गेम वे हैं जिनमें दो खिलाड़ी/ टीम एक क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करते है। इसमें नेट को निर्धारित ऊंचाई पर रखा जाता है। प्रतिद्वंदी एक सफल वापसी करने में असमर्थ होता है तो दूसरे दल को स्कोर प्राप्त होता है। जो निम्न है :–

- बैडमिंटन
- टेनिस
- स्क्वॉश
- टेबल टेनिस
- वॉलीबॉल

VII- क्षेत्र–रक्षण खेल –

क्षेत्ररक्षण खेल वे है जिनमें दो टीमें एक ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा करती है जो आक्रमक और रक्षात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं। बल्लेबाजी टीम के लिए लक्ष्य एक वस्तु (गेंद) पर प्रहार करना होता है। क्षेत्र रक्षकों से बचकर व वस्तु (गेंद) सीमा रेखा के बाहर हो जाये तब स्कोरिंग हासिल होती है । क्षेत्ररक्षण टीम का लक्ष्य बल्लेबाजी टीम को रन बनाने से रोकना है।

:: उच्च प्राथमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो–खो, नेटबॉल, लॉन टेनिस, रग्बी, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल–टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, क्रिकेट, नेटबॉल, योगा, आदि।

:: माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग ::

सॉफ्ट टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स और स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, शतरंज, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो–खो, नेटबॉल मल्लखंब, लॉन टेनिस, पैरा स्पोर्ट, रोलर स्केटिंग, रग्बी, स्कूल गेम्स, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, टेबल–टेनिस, वॉलीबॉल, वेट–लिफ्टिंग, कुश्ती, क्रिकेट, किक बॉक्सिंग, योगा, आदि।

एक खेल की सुविधा की सफलता इसके उपयोग पर निर्भर है। लोकप्रिय होने की सुविधा के लिए इसे अच्छी तरह से सुसज्जित और बनाए रखने की आवश्यकता है:–

- खेल मैदानों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
- पिच से पत्तियों, पत्थरों, कंकड़, फ्लेश, तेज वस्तुओं के टुकड़े निकालें।
- प्रतिदिन फर्श को स्वाइप करें; अगर यह एक सीमेंट का फर्श है।
- खेल मैदान में केवल अनुशंसित फुटवियर की अनुमति दे।
- खेल मैदान और आस–पास परिवेश की स्वच्छता बनाए रखें।
- उपकरणों की स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखें।
- समय–समय पर गोल पोस्ट, वॉलीबॉल पोल, बास्केटबॉल पोस्ट आदि के रखरखाव की जांच करें।
- पर्याप्त डस्टबिन रखें।
- वर्ष में कम से कम एक बार विशेष रखरखाव।
- जमीन का स्तर और ढलान ऐसा होना चाहिए जिसमें जल जमाव न हो।
- ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और जांच।
- पेशेवर मशीनरी के साथ विशेष ब्रशिंग (जैसे सीमेंट वाले फर्श के लिए)।
- सभी कृत्रिम उपकरणों के रखरखाव के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

3. खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों के रख–रखाव एवं उपयोग हेतु दिशा–निर्देशः–

विद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं की सफलता उनके उपयोग पर निर्भर करती है। इसके लिए खेल सामग्री एवं उपकरणों का उपयोग किये जाने की स्थिति में होना आवश्यक है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:–

- यदि खेलने का स्थान पक्का है तो उसकी नियमित सफाई की जाए।
- खेल के दौरान स्वीकृत जूतों का उपयोग किया जाए।
- खेल सामग्री/उपकरणों की नियमित साफ–सफाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
- खेल गतिविधियों के दौरान उचित संख्या में कचरा पात्रों की व्यवस्था की जाए।
- खेल मैदान का लेवल एवं ढाल इस प्रकार होना चाहिए, जिससे जल भराव नहीं हो।
- खेल मैदान के आस–पास की जल निकासी व्यवस्था की जांच कर उसकी वर्ष में कम से कम एकबार आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाए।

✓ **विभिन्न प्रकार की गेंदो के लिये मानक वायुदाब**

➢ फुटबॉल 0.6-1.1 वायुदाब (600-1,100g/cm2)

➢ बास्केटबॉल 3.17-4.0 वायुदाब (3170-4000g/cm2)

➢ वॉलीबॉल 0.30-0.325 वायुदाब (300-325g/cm2)

✓ **गेंदो का उपयोग किए जाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें**

➢ गेंदो में हवा भरकर वायुदाब सही करना।

➢ गेंद में हवा भरने से पूर्व सुई को गीला करना।

➢ गेंद में धीरे–धीरे हवा भरने के साथ गेंद को दबाना।

➢ गेंद में एकसाथ तेजी से ज्यादा हवा भरने पर गेंद के अन्दर की ट्यूब/ब्लैडर खराब हो जाता है।

➢ गेंद में मशीन से हवा नहीं भरें क्योंकि इससे ज्यादा हवा भर जाने की संभावना बनी रहती है।

✓ **गेंदो का उपयोग किये जाने के पश्चात ध्यान देने योग्य बातें**

➢ उपयोग पश्चात गेंद में से कुछ हवा निकाल देनी चाहिए, जिससे गेंद के अन्दर का वायुदाब कम हो जाए। हवा का दबाव कम नहीं करने पर गेंद का आकार एवं आकृति विरूपित हो सकती है।

➢ गेंद को पहले गीले एवं बाद में सूखे कपड़े से पोंछ कर साफ किया जाए।

✓ **गेंदो को सुरक्षित रखने हेतु ध्यान देने योग्य बातें**

➢ गेंद को सीधे सूर्य की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, ना ही गर्म स्थान पर रखना चाहिए।

➢ गेंद को हवादार स्थान पर रखना चाहिए एवं नियमित रूप से हवा भरकर खेलने हेतु उपयोग किया जाए।

➢ खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का उपयोग नहीं होने पर भी यह आवश्यक है कि उनकी नियमित साफ–सफाई एवं रख–रखाव किया जाए।

4. खेल मैदान में सुरक्षा हेतु दिशा–निर्देशः–

खेल मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी खेल सामग्री एवं खेल उपकरणों का उपयोग किया जाना, खिलाड़ियों को खेल के नियमों की जानकारी होना एवं खेल गतिविधियों को सुनियोजित प्रकार से योजना बनाकर संचालित किया जाना आवश्यक है। बच्चों को खेलने का सुरक्षित वातावरण देने के लिए खेल के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों जिनके कारण दुर्घटना होना संभव है, का रिकॉर्ड रखना एवं खेल

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

गतिविधि संचालित होने से पहले उपचारात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है। इन सुरक्षा नियमों की क्रियान्विति से खेल गतिविधियाँ सुरक्षित वातावरण में संचालित हो सकेंगी एवं खेल के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,

क्रमांक:– रास्कूशिप/जय/वै.शि./स्पोर्टस्/दिशा-निर्देश/2019-20/ 9886 दिनांक:- 3/2/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
6. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. सचिव, एसएमसी/एसडीएमसी समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

Sport & Physical Education for Elementary

S.N.	District	Primary		Upper Primary		Total	
		Physical	Financial @ Rs. 5000/-	Physical	Financial @ Rs. 9000/-	Physical	Financial
1	AJMER	685	34.250	665	59.850	1350	94.100
2	ALWAR	1006	50.300	1077	96.930	2083	147.230
3	BANSWARA	2009	100.450	501	45.090	2510	145.540
4	BARAN	865	43.250	410	36.900	1275	80.150
5	BARMER	2803	140.150	1332	119.880	4135	260.030
6	BHARATPUR	606	30.300	591	53.190	1197	83.490
7	BHILWARA	1379	68.950	944	84.960	2323	153.910
8	BIKANER	1118	55.900	486	43.740	1604	99.640
9	BUNDI	602	30.100	377	33.930	979	64.030
10	CHITTAURGARH	772	38.600	641	57.690	1413	96.290
11	CHURU	371	18.550	544	48.960	915	67.510
12	DAUSA	703	35.150	470	42.300	1173	77.450
13	DHAULPUR	547	27.350	326	29.340	873	56.690
14	DUNGARPUR	1646	82.300	456	41.040	2102	123.340
15	GANGANAGAR	882	44.100	592	53.280	1474	97.380
16	HANUMANGARH	309	15.450	428	38.520	737	53.970
17	JAIPUR	1471	73.550	1263	113.670	2734	187.220
18	JAISALMER	731	36.550	283	25.470	1014	62.020
19	JALOR	969	48.450	564	50.760	1533	99.210
20	JHALAWAR	765	38.250	607	54.630	1372	92.880
21	JHUNJHUNU	489	24.450	550	49.500	1039	73.950
22	JODHPUR	1968	98.400	905	81.450	2873	179.850
23	KARAULI	683	34.150	395	35.550	1078	69.700
24	KOTA	366	18.300	417	37.530	783	55.830
25	NAGAUR	1318	65.900	983	88.470	2301	154.370
26	PALI	610	30.500	737	66.330	1347	96.830
27	PRATAPGARH	1068	53.400	326	29.340	1394	82.740
28	RAJSAMAND	840	42.000	560	50.400	1400	92.400
29	SAWAI MADHOPUR	455	22.750	314	28.260	769	51.010
30	SIKAR	615	30.750	732	65.880	1347	96.630
31	SIROHI	509	25.450	250	22.500	759	47.950
32	TONK	605	30.250	518	46.620	1123	76.870
33	UDAIPUR	2680	134.000	850	76.500	3530	210.500
	TOTAL	32445	1622.250	20094	1808.460	52539	3430.710

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Sport & Physical Education for Secondary

S.N.	District	Secondary		Sr. Secondary		Total	
		Physical	Financial @ Rs. 25000/-	Physical	Financial @ Rs. 25000/-	Physical	Financial in lac
1	AJMER	153	38.250	341	85.250	494	123.500
2	ALWAR	248	62.000	495	123.750	743	185.750
3	BANSWARA	72	18.000	349	87.250	421	105.250
4	BARAN	51	12.750	243	60.750	294	73.500
5	BARMER	161	40.250	432	108.000	593	148.250
6	BHARATPUR	140	35.000	383	95.750	523	130.750
7	BHILWARA	103	25.750	441	110.250	544	136.000
8	BIKANER	125	31.250	259	64.750	384	96.000
9	BUNDI	60	15.000	204	51.000	264	66.000
10	CHITTAURGARH	71	17.750	326	81.500	397	99.250
11	CHURU	225	56.250	260	65.000	485	121.250
12	DAUSA	110	27.500	250	62.500	360	90.000
13	DHAULPUR	84	21.000	165	41.250	249	62.250
14	DUNGARPUR	97	24.250	273	68.250	370	92.500
15	GANGANAGAR	127	31.750	324	81.000	451	112.750
16	HANUMANGARH	93	23.250	242	60.500	335	83.750
17	JAIPUR	372	93.000	543	135.750	915	228.750
18	JAISALMER	36	9.000	140	35.000	176	44.000
19	JALOR	71	17.750	280	70.000	351	87.750
20	JHALAWAR	39	9.750	281	70.250	320	80.000
21	JHUNJHUNU	219	54.750	277	69.250	496	124.000
22	JODHPUR	189	47.250	415	103.750	604	151.000
23	KARAULI	93	23.250	216	54.000	309	77.250
24	KOTA	85	21.250	218	54.500	303	75.750
25	NAGAUR	208	52.000	482	120.500	690	172.500
26	PALI	117	29.250	351	87.750	468	117.000
27	PRATAPGARH	20	5.000	166	41.500	186	46.500
28	RAJSAMAND	54	13.500	236	59.000	290	72.500
29	SAWAI MADHOPUR	79	19.750	213	53.250	292	73.000
30	SIKAR	265	66.250	319	79.750	584	146.000
31	SIROHI	47	11.750	170	42.500	217	54.250
32	TONK	74	18.500	247	61.750	321	80.250
33	UDAIPUR	143	35.750	530	132.500	673	168.250
	TOTAL	**4031**	**1007.750**	**10071**	**2517.750**	**14102**	**3525.500**

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

स्पोर्टस् ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम ....यू डाईस कोड..............................
स्पोर्टस् ग्रान्ट की प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में प्राप्त स्पोर्टस् ग्रान्ट की राशि रू. ....का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि.......... है एवं शेष राशि ....व पूर्व अवशेष राशि रू० .... कुल राशि रू० .... बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्राँफ्ट संख्या.................. दिनांक .... द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी
....

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

स्पोर्टस् ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में ब्लॉक .... जिला .... के ....प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक,............................, माध्यमिक .... एवं उच्च माध्यमिक .... विद्यालयों को जारी की गई स्पोर्टस् ग्रान्ट की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा स्पोर्टस् ग्रान्ट हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	स्पोर्टस् ग्रान्ट राशि			वि. वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय
....

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय
....

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

स्पोर्टस् ग्रान्ट
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में जिला .... को स्पोर्टस् ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर **सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी**	हस्ताक्षर **सहायक लेखाधिकारी** ....
हस्ताक्षर **अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक**	हस्ताक्षर **जिला परियोजना समन्वयक** ....

+/

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति / दिशा–निर्देश / 2019–20 / 5390 दिनांक : 3/9/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)

एसएमसी / एसडीएमसी की मासिक बैठक के विवरण का पोर्टल पर अद्यतनीकरण

प्रस्तावना– राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 52539 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों व 14102 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय 500 रू एसएमसी / एसडीएमसी की मासिक बैठक के विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कुल 66,641 विद्यालयों हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :–

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	यूनिट कोस्ट (वार्षिक)	स्वीकृत कुल राशि (लाख में)
1	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	52539	500 रू प्रति विद्यालय	262.695
2	माध्यमिक व उच्च माध्यगिक विद्यालय	14102	500 रू प्रति विद्यालय	70.510
	कुल	66641		333.205

प्रत्येक राजकीय विद्यालय में एसएमसी / एसडीएमसी की बैठक प्रतिमाह अमावस्या को आयोजित होगी जिसके विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्धारित वार्षिक यूनिट कॉस्ट 500 / – रू से अधिक किसी भी स्थिति में खर्च नहीं किया जाएगा।

बैठक आयोजन के पश्चात् अगले तीन दिवस में पोर्टल पर विवरण अपलोड कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः संस्थाप्रधान की रहेगी तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

शिक्षा द्वारा इसका सतत पर्यवेक्षण करते हुए इसकी रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में संधारित एवं पोर्टल पर अपलोड की जावेगी :–

क्र.स.	विद्यालय का नाम	ब्लॉक का नाम	आयोजित बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्य	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1					
2					

संलग्न– जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/दिशा–निर्देश/2019–20/ 5390 दिनांक : 3/9/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

3/9/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715538, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / ICT/Guideline / 2019 / 4242 दिनांक: 30/07/2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– आईसीटी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब संचालन हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः– आईसीटी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के बूट अवधि समाप्ति के पश्चात् संचालन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आईसीटी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत विद्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर लैब के संचालन की बूट अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप संबंधित विद्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर लैब का संचालन विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। अतः विद्यालय स्तर से लैब प्रभारी एवं संस्थाप्रधान के द्वारा कम्प्यूटर लैब के उपकरणों का रख–रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संलग्न कर भेजे जा रहे है। संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कम्प्यूटर लैब का संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों से विद्यालय अवलोकन करवाकर आवश्यक सम्बलन प्रदान करें एवं प्रतिमाह जिला / ब्लॉक अधिकारियों द्वारा की गई अवलोकन की समेकित रिपोर्ट्स परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.आर. बगडिया)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप / जय / ICT/Guideline / 2019 / 4242 दिनांक: 30 / 07/2019

प्रतिलिपिः – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner

आईसीटी लैब (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण) के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

लैब प्रभारी के दायित्व : –

1. लैब के समस्त उपकरणों को क्रियाशील एवं संचालित रखना।
2. प्रतिदिन लैब को समय पर खोलना एवं बंद करना।
3. पी.ओ. (आईसीटी) से सम्पर्क स्थापित करके अद्यतन जानकारी प्राप्त करना तथा लैब को सुचारू रखना।
4. ई–ज्ञान पोर्टल/दीक्षा पोर्टल अथवा अन्य किसी Open Source पर उपलब्ध ई–कंटेन्ट शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान करना।
5. लैब प्रभारी द्वारा रिक्त कालांश एवं व्यवस्थार्थ कालांश में विद्यार्थियों को आईसीटी लैब उपलब्ध करवाते हुए विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करना।
6. लैब की सुरक्षा एवं रख–रखाव की समुचित व्यवस्था करना।
7. अपने कार्यव्यवहार तथा मौखिक संवादों से विद्यालय में डिजीटल शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल पैदा करना।
8. कम्प्यूटर लैब में एक रजिस्टर संधारित करना, जिसमें समय–सारणी के अनुसार लैब में आने वाली कक्षाओं विद्यार्थियों की संख्या एवं दिखाए गये ई–कंटेन्ट/ Practical का विवरण संधारित किया जा सके।
9. विद्यालयों की जरूरत के अनुसार ई–कंटेन्ट को डाउनलोड करने हेतु पैनड्राइव एवं Hard Disk की व्यवस्था करना एवं डाउनलोड किये गये कंटेन्ट का आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के लिए उपयोग करना।

संस्थाप्रधान के दायित्व :–

1. कम्प्यूटर लैब के समस्त उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करवाना।
2. कम्प्यूटर उपकरण खराब होने पर विद्यालय विकास कोष/SAG/छात्र कोष आदि से विद्यालय स्तर पर लैब का रख–रखाव करवाना।
3. सरकारी फण्ड कम होने पर लैब प्रभारी एवं SDMC के सदस्यों में उचित समन्वय स्थापित करके स्थानीय भामाशाहों से फण्ड जुटाने का प्रयास करना।
4. Digital आवश्यकता रजिस्टर संधारित करवाना। जिसमें अपेक्षित डिजीटल शिक्षण सामग्री (जो कि निःशुल्क एवं Open Source के रूप में उपलब्ध हो) की जरूरत का उल्लेख किया जा सके। रजिस्टर में उल्लेखित मांग की पूर्ति करवाना।
5. कक्षा 1 से 10 तक के लिए उपलब्ध QR code युक्त पाठ्यपुस्तकों से विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास करना।
6. दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सभी विषयों के गुणवत्तापूर्ण ई–कंटेन्ट को प्रोजेक्टर पर विद्यार्थियों को दिखाया जाना सुनिश्चित करवाना।
7. ई–ज्ञान पोर्टल पर उपलब्ध कक्षा 1 से 12 तक के गुणवत्तापूर्ण ई–कंटेन्ट का विद्यार्थियों के उपयोगार्थ अधिकाधिक उपयोग किया जाना सुनिश्चित करवाना।

विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के दायित्व :–

1. कम्प्यूटर लैब का विद्यालय हित में प्रयोग सुनिश्चित कराना।
2. जनसहभागिता के द्वारा कम्प्यूटर लैब में आवश्यक उपकरण जुटाने में एवं उपलब्ध उपकरणों को क्रियाशील बनाये रखने में सक्रिय भूमिका निभाना।

Scanned with CamScanner

3. आर्थिक सहयोग द्वारा कम्प्यूटर लैब में समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
4. कम्प्यूटर लैब को अत्याधुनिक तकनीकी सुविधायुक्त (इंटरनेट आदि) बनाने में पूर्ण सहयोग करना।
5. सरकारी बजट कम होने पर लैब के लिए स्थानीय स्तर पर फण्ड जुटाने के लिए प्रयास करना।
6. स्थानीय स्तर पर डिजीटल शिक्षा के बारें में लोगों में जागृति उत्पन्न करना।
7. कम्प्यूटर लैब गोद लेने के इच्छुक भामाशाह तैयार करना।
8. राष्ट्रीय पर्वों पर कम्प्यूटर शिक्षा के महत्व के बारे में अभिभावकों को अवगत कराना।

ब्लॉक व जिला स्तरीय अधिकारियों के दायित्व :–

1. समय–समय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों (CBEO/ACBEO/RP) तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (DPC/ADPC/APC/PO) द्वारा लैब का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु औचक निरीक्षण किया जाना।
2. निरीक्षण किया जाकर Gaps की पूर्ति हेतु आवश्यक सम्बलन प्रदान करना एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय में किसी स्तर पर लैब उपकरण असंचालित होने पर आवश्यक सम्बलन प्रदान कर लैब को क्रियाशील करवाना।

आई.सी.टी. लैब संचालन हेतु लैब प्रभारी का चयन यदि किसी विद्यालय में नहीं किया गया है तो आवश्यक रूप से निम्नानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे :–

आईसीटी योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में संचालित समस्त कम्प्यूटर लैब हेतु संस्था प्रधान द्वारा लैब प्रभारी का चयन किया जाना है। संस्था प्रधान द्वारा निम्नांकित योग्यता धारी शिक्षक का चयन "आईसीटी लैब प्रभारी" के रूप में किया जाना है–

1. कम्प्यूटर लैब प्रभारी कम्प्यूटर ज्ञान रखने के साथ ही RS-CIT/कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री योग्यता रखता हो।
2. द्वितीय श्रेणी शिक्षक को आईसीटी लैब प्रभारी नियुक्त किया जावें। योग्यताधारी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के अभाव में विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षक को आईसीटी लैब प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है।

प्रधानाचार्य द्वारा उपरोक्त योग्यता के आधार पर शिक्षक को "लैब प्रभारी" का दायित्व सौंपा जावे। साथ ही लैब प्रभारी को अध्यापन में एक कालांश की छुट दी जावें। लैब प्रभारी का चयन होने पर लैब प्रभारी की जानकारी निम्नानुसार तैयार कर शालादर्पण पर अंकित करवायी जावे :–

शिक्षक का नाम :–	योग्यता ————————————
पता :–	श्रेणी ————————————
मोबाईल :–	कम्प्यूटर की दक्षता ————————
ई–मेल :–	डिंप्लोमा/RS-CIT/कम्प्यूटर डिग्री ———

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2019–20 / 5305 दिनांक 30/8/19

दिशा–निर्देश

(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत एस्कॉर्ट भत्ता हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 13584 विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु 543.360 लाख रू का प्रावधान है। सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही निम्नानुसार एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराया जाना है:–

1. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत वे बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय व विद्यालय से घर बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुँच पाने में असमर्थ है के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता।
   - " Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Some

children with special needs are having high support needs and could not reach their school without support. To provide support to these children there should be provision of escort allowance for their escort."

2. **पात्रता :–**

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ है, अर्थात् इन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक इनके अभिभावक द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बच्चों के अभिभायकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है।
  - अवधि :– 10 माह
  - राशि :– ₹ 400/–प्रति माह

3. **एस्कॉर्ट भत्ता हेतु बच्चों का चयन –**

- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2019 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी.	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 5 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजन्र समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

Scanned with CamScanner

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अगस्त 2019	जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर (5 माह)
नवम्बर, 2019	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (5 माह)

- ➢ एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।
- ➢ जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा के उपमद **" Escort Allowance"** में आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- ➢ उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

1. जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।
2. जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु ***Re-appropriation*** के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएंगे।
3. एस्कॉर्ट भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
4. एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
5. नवीन पात्र CWSN बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के बैंक खाते में

Scanned with CamScanner

एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
7. समस्त व्यवस्था पात्र बालक–बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।
8. बालक–बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए एस्कॉर्ट हेतु स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
9. सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जावें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
10. सामूहिक परिवहन व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
11. परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
12. पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला आप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।

29.8.19
(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/ 5305 दिनांक : 30/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

D/ramesh/paripira/2019-20/

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका...

2. पिता का नाम...

3. जन्म तिथि..............................कक्षा..

4. स्थानीय पता...

5. एस.आर. न0..दोष का प्रकार एवं प्रतिशत..............................

6. नोडल / पीईईओ..ब्लॉक..

7. विद्यालय..डाईस कोड..

8. घर से विद्यालय की दूरी...

9. आधार कार्ड नम्बर...

10. खाता संख्या..IFSC Code..............................

11. बैंक का नाम...

12. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम..

14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि...

15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है ....

....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र / छात्रा

Scanned with CamScanner

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................... में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को ₹.........................प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.. पुत्र/पुत्री श्री..विद्यालय..को एस्कॉर्ट भत्ता ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019–20/ 5287 दिनांक 20/8/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत स्टाईपेन्ड भत्ते (Stipend for Girls) हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 7405 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु 148.100 लाख रू का प्रावधान है। सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही निम्नानुसार स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) उपलब्ध कराया जाना है:–

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) :-

- पात्रता :– राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत 7405 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 4685 तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 2720) हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) जिन्हें सक्षम

Scanned with CamScanner

चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) देय होगा।

- अवधि :– 10 माह
- राशि :– ₹ 200/–प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2000/–)
- स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) का व्यय समावेशित शिक्षा मद की " Stipend for Girls " उपमद से किया जायेगा।

<u>विशेष बिन्दु :–</u>

- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर एन्ट्री कर हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के बैंक खातों को आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के बैंक खाते में स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) की राशि जमा कराने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- **अगस्त 2019 में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) के कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सकें।**
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह तक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर प्रमाणित संख्या एकत्र कर राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राशि जारी की जायेगी।
- जिले के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) दिया जाना हैं परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी पात्र बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशिल शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।

Scanned with CamScanner

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से इन बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जावे।

29.8.19
(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/5287 दिनांक :30/8/19
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालिका..
2. पिता का नाम..
3. माता का नाम..
4. जन्म तिथि..................................कक्षा...
5. स्थानीय पता...
6. मोबाइल न0..
7. ब्लॉक...
8. विद्यालय...डाईस कोड़..
9. श्रेणी ....
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र...
11. आधार कार्ड नम्बर...
12. बैंक का नाम...
13. खाता संख्या...IFSC Code...................................
14. क्या बालिका का बैंक खाता आधार कार्ड से जुडा है। हाँ/नहीं

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्रा

Scanned with CamScanner

<u>संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालिका... .... उक्त विद्यालय की कक्षा........................में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु ₹.........................प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

<u>कार्यालय उपयोग हेतु</u>

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्रा...पुत्री श्री...विद्यालय...को स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019-20/ 5288 दिनांक : 30/8/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)
विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु परिवहन भत्ता देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत परिवहन भत्ते हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत 21713 विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु 868.520 लाख रू का प्रावधान है। सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही निम्नानुसार परिवहन भत्ता उपलब्ध कराया जाना है:–

परिवहन भत्ता (Transport Allowance) -

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता।
  - ✓ Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.

    उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

D/ramesh/paripatra/2019-20/

Scanned with CamScanner

- पात्रता :–
  - Rights of Persons with Disabilities Act. 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
  - अवधि :– 10 माह के लिए
  - राशि :– अधिकतम ₹ 400/–प्रति माह

परिवहन भत्ता हेतु बच्चों का चयन –

- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2019 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 5 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अगस्त 2019	जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर (5 माह)
नवम्बर, 2019	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (5 माह)

- एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य

Scanned with CamScanner

किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।

- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा की उपमद **"Transportation Allowance"** आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

<u>विशेष बिन्दु :–</u>

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु ***Re-appropriation*** के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएंगे।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र CWSN बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के बैंक खाते में परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- बालक–बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

- सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जावें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
- सामूहिक परिवहन व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
- समस्त व्यवस्था पात्र बालक-बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।
- पात्र CWSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक-बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला आप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19-20/5288
दिनांक 30/8/19

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

D/ramesh/pariptra/2019-20/

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका..
2. पिता का नाम..
3. जन्म तिथि..............................कक्षा..............................
4. स्थानीय पता..
5. एस.आर. न0..............................दोष का प्रकार एवं प्रतिशत..............................
6. नोडल / पीईईओ..............................ब्लॉक..............................
7. विद्यालय..............................डाईस कोड..............................
8. घर से विद्यालय की दूरी..
9. आधार कार्ड नम्बर..
10. खाता संख्या..............................IFSC Code..............................
11. बैंक का नाम..
12. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का

    नाम..
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि..
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व

    किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है ....

    ....

हस्ताक्षर अभिभावक　　　　　　　　　　　　　　ह0 छात्र / छात्रा

Scanned with CamScanner

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका.. उक्त विद्यालय की कक्षा........................में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹.........................प्रतिमाह भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा..

पुत्र/पुत्री श्री...विद्यालय..को

परिवहन भत्ता ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2019–20/ 5208 दिनांक : 27/8/19

दिशा–निर्देश
(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु रीडर भत्ता (Reader Allowance)

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार रीडर भत्ता उपलब्ध कराया जाना है :–

रीडर भत्ता (Reader Allowance) :–

- **पात्रता :–** राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत 1346 दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 859 तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 487) को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होगा।
- अवधि :– 10 माह के लिए
- राशि :– अधिकतम ₹ 250/–प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2500/–)
- **रीडर भत्ता (Reader Allowance)** का व्यय समावेशित शिक्षा मद की **"Reader Allowance"** उपमद से किया जायेगा।

विशेष बिन्दु :–

- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) की PMS Portal पर एन्ट्री कर हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के बैंक खातों को आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के बैंक खाते में रीडर अलाउंस की राशि जमा कराने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।
- अगस्त 2019 में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) के कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे, जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सकें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह तक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर प्रमाणित संख्या एकत्र कर राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राशि जारी की जायेगी।

Scanned with CamScanner

- जिले के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता दिया जाना हैं परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से इन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन्हें यह राशि देय नहीं होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जावे।

(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प / जय / आईईडी / 19–20 / 5208
दिनांक : 27/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

27/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन:– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/SIQE/विशेष शिक्षण/ /2019–20/ 6630 दिनांक : 10/10/19

कक्षा 6 में शैक्षिक स्तर से न्यून विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षण गतिविधि संचालन दिशा–निर्देश सत्र 2019–20

सत्र 2018–19 में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु **'जिला स्तरीय प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा'** का आयोजन किया गया था। **इस क्रम में सत्र 2019–20 की कार्ययोजना में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से गत वर्ष कक्षा 5 की मूल्यांकन परीक्षा में सी. एवं डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जोकि इस वर्ष कक्षा 6 में अध्ययनरत है; ऐसे विद्यार्थियों के साथ नवीन शिक्षण विधा से विशेष शिक्षण करवाते हुए उन्हें कक्षा स्तर तक लाने हेतु विशेष शिक्षण** व्यवस्था का संचालन का कार्य किया जाना है। इस बाबत गतिविधि **'Special classes for class 6 (Quality intervention)'** के प्रभावी संचालन एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य के समस्त **34339**[1] विद्यालयों (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विभाग) की कक्षा 6 में 138051 अध्ययनरत विद्यार्थियों (प्राथमिक अधिगम स्तर मुल्यांकन 2018–19 में सी एवं डी ग्रेड प्राप्त) के स्तर सुधार हेतु कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

1) उद्देश्य –

1. विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि के प्रयास करना।
2. सभी विद्यार्थियों को अधिगम सम्प्राप्ति अनुरूप तैयार करना।
3. लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाना।
4. कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना।

2) विद्यार्थी चयन का आधार –

1. **सत्र 2018–19 में कक्षा 5 हेतु आयोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा में विषयवार 'C' अथवा 'D' ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता देते हुए इस गतिविधि में** सम्मिलित किया जायेगा।
2. कक्षा 6 में नवीन प्रवेश अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण जिनका शैक्षिक स्तर कक्षा 5 के स्तर से न्यून है, ऐसे छात्र–छात्राओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार A+ एवं A ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों का उक्त विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन में सहयोग प्राप्त किया सकता है।

3) शिक्षण समायावधि / कालांश निर्धारण –

1. विद्यार्थियों के साथ **विशेष शिक्षण कार्य माह नवम्बर, 2019 से नियमित लगभग 70 कार्य दिवस** तक संचालित किया जाना है।
2. विशेष कक्षाओं का आयोजन **विद्यालय समय विभाग चक्र में निदानात्मक शिक्षण हेतु निर्धारित** पाँच कालांशों में किया जाएगा।
3. शिक्षण कालांश विभाजन में **कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु निर्धारित कालांशों में भी आवश्यकता अनुसार उप समूह के बच्चों के साथ (70 दिवस तक)** विशेष शिक्षण कार्यक्रम पर कार्य किया जा सकता है।
4. यदि विद्यालयों में चारों विषयों का विशेष शिक्षण कार्य किया जाएगा तो दो–दो विषय का प्रतिदिन एकान्तर क्रम में अध्यापन कार्य करवाया जाए।
5. यदि विद्यालय में दो विषयों हेतु विशेष शिक्षण कार्य का संचालन होगा तो प्रतिदिन दोनों विषय का अध्यापन कार्य किया जाए।
6. प्रारम्भिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों के आधार पर विद्यालयवार शिक्षक स्वयं से सम्बन्धित विषय के उप समूह बनाकर कार्य करेंगे। 4

[1] **Source:** Shala Darpan Report_ Date 26.09.2019

Scanned with CamScanner

4) अध्यापन कार्य व्यवस्था –

1. विशेष कक्षाओं के **शिक्षण कार्य में मुख्य भूमिका विभाग द्वारा नियुक्त बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों (इन्टर्न)** की रहेगी। किन्तु अकादमिक सम्बलन एवं मॉनीटरिंग का पूर्ण दायित्व कक्षा 6 में पढ़ा रहे विषय अध्यापक एवं संस्थाप्रधान का होगा।
2. जिन विद्यालयों में बीएसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे कक्षा 6 के विषय अध्यापक ही शिक्षण कार्य करवाएँगे।
3. विशेष शिक्षण कार्य आरम्भ करने से पूर्व बच्चे का शैक्षिक स्तर का आकलन/मूल्यांकन किया जाएगा।
4. विद्यालयों मे विशेष शिक्षण कार्य उपयोग हेतु दी जाने वाली सामग्री निम्नप्रकार रहेगी –
   - शिक्षकों के लिए – विषयवार शिक्षक सन्दर्भ पुस्तिका*।
     – विषयवार विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि पुस्तिका (प्रति विद्यार्थी एक)*
   - विद्यार्थियों के लिए – विषयवार अभ्यास कार्य पुस्तिका (प्रत्येक विद्यार्थी हेतु)*
5. विशेष शिक्षण से लाभान्वित विद्यार्थियों की उपस्थिति पृथक से रजिस्टर में संधारित की जाए।

नोट: *उपरोक्तानुसार शिक्षण सामग्री पृथक से जिलों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाएगी इस हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा।

5) गतिविधि का संचालन एवं प्रक्रिया –

1. शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित सुनिश्चित करने हेतु दैनिक / साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाकर तदनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
2. विशेष शिक्षण कार्य का आकलन करते हुए परिणाम की समीक्षा की जाए तथा बच्चे की प्रगति को 'डी' से 'सी', 'सी' से 'बी' तथा 'बी' से 'ए' ग्रेड तक लाने का प्रयास अनिवार्यतः किये जाए।
3. शिक्षक सन्दर्भ पुस्तिका में दी गई योजना एवं गतिविधियों के आधार पर शिक्षक एक गतिविधि स्वयं करवाकर 'मेरी अभ्यास पुस्तिका' में दिये गए कार्य प्रत्रक पर अभ्यास कार्य देगा। इसके पश्चात विद्यार्थी की समझ विकसित होने पर साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा। इस हेतु साप्ताहिक मूल्यांकन प्रत्रक 'विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि रजिस्टर' में दिये गये है।
4. शिक्षक का यह दायित्व है कि विद्यार्थी की प्रगति का नियमित आकलन / मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।

6) संस्था प्रधान /विषय अध्यापक के दायित्व –

1. संस्था प्रधान की भूमिका शिक्षण के साथ–साथ सम्बलनकर्ता के रूप में रहेगी।
2. संस्था प्रधान नियमित कक्षाओं को सम्बलन प्रदान करें एवं निर्धारित प्रपत्र में आंकलन करते हुए टिप्पणी दर्ज करें।
3. विद्यार्थियों की विशेष शिक्षण कालांश में नियमितता एवं ठहराव पर समय–समय पर अभिभ्रवक से चर्चा करें।
4. विशेष शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को एसएमसी/एसडीएमसी के साथ चर्चा कर समाधान के प्रयास करें।
5. एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों से विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करें।
6. शिक्षण कार्य में विषय अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर इन्टर्न को मार्गदर्शन एवं सहयोग करें।
7. आवश्यक सभी दस्तावेज़ों के संधारणका कार्य विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा।
8. छात्राध्यापकों (इन्टर्न) के आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में संस्था प्रधान इन्टर्न द्वारा किए गए विशेष शिक्षण कार्य की प्रगति के आधार पर अभिशंषा करेंगे।
9. इन्टर्न के बीएड /बीएसटीसी के कोर्स में आन्तरिक मूल्यांकन के निर्धारण में विशेष शिक्षण में सहयोग की प्रगति को प्राथमिकता दी जाए।

7) संधारित किए जाने वाले दस्तावेज़ –

1. विशेष शिक्षण कार्य में निम्न दस्तावेज़ों का संधारण किया जाएगा –
   - पाठ योजना – इन्टर्न विषय अध्यापक की सहायता से शिक्षण कार्य से पूर्व दैनिक/ साप्ताहिक पाठ योजना का निर्माण।
   - शिक्षण कार्य योजना – अधिगम स्तर सम्प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण शिक्षण कार्य योजना।
   - **विद्यार्थी प्रगति एवं उपलब्धि रजिस्टर** – साप्ताहिक, मध्य मूल्यांकन एवं समग्र मूल्यांकन का संधारण।

Scanned with CamScanner

8) मॉनीटरिंग–

- गतिविधि के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित सीबीईओ/पीईईओ नियमित अवलोकन एवं सम्बलन प्रदान करें।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप विषयवार कक्षाओं का संचालन की समीक्षा संस्थाप्रधान, पीईईओ एवं एसएमसी/ एसडीएमसी द्वारा नियमित की जाए।
- ब्लाक एवं जिला स्तर (प्रा.शि.एवं मा.शि.) के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित कर मॉनीटरिंग की जायेगी।
- अकादमिक सम्बलन का दायित्व डाइट एवं एससीईआरटी उदयपुर का होगा।
- DAG/DCG की मासिक बैठकों में गतिविधि की प्रगति की समीक्षा की जाए।

9/10/19
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः–रास्कूलशिप/जय/SIQE/विशे.शिक्षण/2019–20/6630 दिनांकः 10/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज0, बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय स्तर से प्रभारी जिला अधिकारियों के जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/सम्बलन प्रदान करने हेतु पाबन्द करें।
5. निजी सहायक, निदेशक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय स्तर से प्रभारी जिला अधिकारियों के जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/सम्बलन प्रदान करने हेतु पाबन्द करें।
6. निजी सहायक, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,प्रथम/द्वितीय राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. उपायुक्त/उपनिदेशक, आईसीटी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को को पत्र प्रेषित कर लेख है कि जिला भ्रमण के दौरान उक्त गतिविधि की मॉनीटरिंग/ सम्बलन प्रदान करें।
11. रेमेडियल कक्षा कार्यक्रम प्रभारी, निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर उक्त गतिविधि की नियमित मॉनीटरिंग करना सुनिश्चित करें।
12. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
14. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
15. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा0/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
16. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा समस्त जिले।
17. प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत।
18. रक्षित पत्रावली।

9/10/19
राज्य परियोजना निदेशक

Scanned with CamScanner

- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में समारोह हेतु गठित उक्त ब्लॉक स्तरीय कमेटी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ **CSR** अनुभाग द्वारा आयोज्य **Alumni Meet** के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उसकी सूची पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावें, जिससे पीईईओ उनसे समन्वय कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सके।
- समारोह से पूर्व ब्लॉक स्तर पर CBEO की अध्यक्षता में समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान, शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान, उत्कृष्ट विद्यालय संस्थानप्रधान की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश प्रदान किये जावें।
- ब्लॉक में पंचायत स्तरीय आयोजन समिति के गठन की सूचना के साथ-साथ शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान एवं पीईईओ से चर्चा कर पंचायतवार **उत्कृष्ट, ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों** में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन हेतु **अलग-अलग दिवस** निर्धारित कर आयोजन की दिनांकवार सूची दिनांक 10.12.2019 तक अनिवार्य रूप से CDEO कार्यालय को उपलब्ध करावें।

पंचायत स्तरीय आयोजन समिति :-

ग्रामीण आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु पंचायत स्तर पर निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। उक्त कमेटी पंचायत स्तर पर आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी –

- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष
- पंचायत स्थित अन्य उमावि/मावि के संस्थाप्रधान, समस्त – सदस्य
- उत्कृष्ट विद्यालय संस्थाप्रधान – सदस्य
- पंचायत स्थित अन्य उप्रा/प्रा विद्यालय के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- एसडीएमसी/एसएमसी (पीईईओ विद्यालय) – सदस्य (02)
- भामाशाह प्रेरक – सदस्य
- भामाशाह – सदस्य (02)

शहरी आदर्श विद्यालय आयोजन समिति :-

शहरी आदर्श विद्यालयों के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। उक्त कमेटी शहरी आदर्श विद्यालयों के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की समस्त व्यवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होगी –

- शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान – अध्यक्ष
- शहरी नोडल विद्यालय के अधीनस्थ उमावि/मावि के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- शहरी नोडल विद्यालय के अधीनस्थ उप्रावि/प्रावि के संस्थाप्रधान – सदस्य (02)
- एसडीएमसी/एसएमसी (शहरी नोडल विद्यालय) – सदस्य (02)
- भामाशाह प्रेरक – सदस्य
- भामाशाह – सदस्य (02)

Scanned with CamScanner

नोट :– जिला/ब्लॉक स्तरीय समितियों में पीईईओ के रूप में जो पीईईओ, आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान भी है, को ही नामित किया जावे। क्रमशः, पंचायत स्तरीय समिति में यदि पीईईओ उस पंचायत के आदर्श विद्यालय का संस्थाप्रधान नहीं है, तो पीईईओ आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान को भी समिति में नामित करेंगें।

उक्तानुसार गठित पंचायत स्तरीय/शहरी आदर्श विद्यालय आयोजन कमेटी अपने परिक्षेत्र के उत्कृष्ट, ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन हेतु निम्नांकित समस्त निर्देशों की अनुपालना करते हुये समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी :–

- समस्त आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में जनवरी – 2020 में पुरस्कार वितरण एवं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियाँ समय पूर्व सम्पन्न कर ली जावें।
- समारोह हेतु विद्यालय का प्रांगण, सार्वजनिक स्थान का चयन करें। यदि उक्त स्थान पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तो गार्डन, लॉन, सामुदायिक केन्द्र को निःशुल्क अथवा दानदाता/भामाशाहों के सहयोग से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
- उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त संस्था प्रधान एवं स्टाफ जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते है।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु पंचायत /शहर स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण कर कार्य रूप में परिणित करेंगे।
- वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह शहर/पंचायत स्तर के समस्त आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में अलग–अलग दिवस में आयोजित किया जावेगा। दोनों कार्यकमों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाओं का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सीबीईओ/ पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्कृष्ट, ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान का रहेगा। पीईईओ एवं आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय संस्थाप्रधान को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- पंचायत परिक्षेत्र/शहरी आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दिवस पंचायत / शहरी परिक्षेत्र के माध्यमिक शिक्षा (पंचायत/शहरी परिक्षेत्र के समस्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय) के समस्त बच्चे एवं पंचायत परिक्षेत्र के समस्त संस्थाप्रधान एवं शिक्षक (उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान) शामिल रहेंगे।
- पंचायत परिक्षेत्र पर उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दिवस पंचायत परिक्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा (पंचायत परिक्षेत्र के समस्त उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय) के समस्त बच्चे एवं पंचायत परिक्षेत्र के समस्त शिक्षक (उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान) शामिल रहेंगे।
- समारोह के सफल संचालन हेतु शहरी / पंचायत परिक्षेत्र के समस्त शिक्षकों को उत्तरदायित्व (जैसे –सांस्कृतिक प्रभारी, आमंत्रण प्रभारी, बैठक व्यवस्था प्रभारी, मीडिया प्रभारी, जलपान प्रभारी, मंच संचालन प्रभारी, मंच प्रभारी इत्यादि) प्रदान किये जावेंगे।

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या 11 – वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि के विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

- उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह की प्रविष्टि पीईईओ विद्यालयों के द्वारा करवाई जानी है।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजन के तीन दिवस में उपरोक्त जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट कराये जाने हेतु समस्त सीबीईईओ/पीईईओ को निर्देशित करें।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप–जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप–जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), समस्त जिले।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), समस्त जिले।
9. रक्षित पत्रावली।

1046
30/01/2020

(एम.आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

समस्त CBEO
अलवर
मूल पत्र प्रेषित कर लेख है, कि उपरोक्त पत्रानुसार कार्यवाही कर शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना प्रविष्ट कराना सुनिश्चित करें।

30-1-2020
अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, अलवर

Scanned with CamScanner

आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित राजकीय विद्यालयों में आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन (Alumni Meet) की जानकारी शाला दर्पण पर अपडेट किये जाने हेतु प्रपत्र

जिला : .... **ब्लॉक :** ....

पीईईओ/शहरी विद्यालय का विवरण (नाम, पद, पीईईओ/शहरी विद्यालय एवं मो. नं.) ....

(1) आयोजक विद्यालय का नाम : ....

(2) विद्यालय का प्रकार (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) : ....

(3) विद्यालय का शाला दर्पण कोड : ....

(4) संस्था प्रधान का नाम एवं मो. नं. : ....

(5) वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन की दिनांक : ....

(6) (A)क्या वार्षिकोत्सव के साथ पूर्व छात्र/भामाशाह/संभावित दानदाता सम्मेलन आयोजित किया गया? (हाँ/नहीं) ....

(B) यदि हाँ तो भाग लेने वाले विद्यालयों की कुल संख्या

(i) उमावि ☐ (ii) मावि ☐ (iii) उप्रावि ☐ (iv) प्रावि ☐

(7) आयोजन में उपस्थिति :—

- एसएमसी सदस्य : ....
- एसडीएमसी सदस्य : ....
- अभिभावकगण : ....
- गणमान्य व्यक्ति : ....
- पूर्व विद्यार्थियों की सं. : ....
- कम्पनी प्रतिनिधियों की संख्या : ....

(8) आयोजन में उपस्थित राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी का नाम, पद एवं मो.नं.

....

(9) कार्यक्रम में आयोजित कुल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या ....

(10) कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु प्राप्त कुल राशि (प्राप्त सामग्री की अनुमानित राशि शामिल करते हुये)

- नकद राशि (विद्यालय हेतु) ....
- विद्यालयों के विकास हेतु प्रदान सामग्री/कार्य हेतु घोषणा की अनुमानित राशि ....
- विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि + सामग्री की लागत राशि ....

(11) कार्यक्रमों हेतु समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि ....

विद्यालय (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) को / के द्वारा	वार्षिकोत्सव हेतु	पूर्व छात्र सम्मेलन हेतु
(A) कार्यक्रम के लिये जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त राशि		
(B) कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय राशि		
(C) क्या शेष राशि जिला कार्यालय को लौटा दी गई है? (हाँ/नहीं)		

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail ID- smsa.asfe@gmail.com
फोन:- 0141-2715565

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/बै.शि./TV /दिशा-निर्देश/2019-20/ 6608 दिनांक :- 10/10/19

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2019-20

1. प्रस्तावना –

1.1 नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

1.2 राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम 7 (4) में ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां नियम 7(1 व 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नही है, में निवास कर रहे 6-14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंम्भिक शिक्षा हेतु नि:शुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2017-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई।

1.4 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 कि.मी. से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो नि:शुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वांछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 5 कि.मी. से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो नि:शुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत नि:शुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2. उद्देश्य :-

2.1 बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 से 12 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।

2.2 आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्व पहुंचाने के उदेश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक-बालिकाओं हेतु ट्रॉंसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –

सारणी – 1

कक्षा 1 से 8 के बालक–बालिकाओं हेतु	कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 1 किमी से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक–बालिकाऐं जिनके वास स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं।

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :-

सारणी – 2

कक्षा	विद्यालय का प्रकार	वास स्थान से विद्यालय की दूरी	श्रेणी	दर (प्रति उपस्थिति दिवस)	वर्ष में अधिकतम स्वीकृत / देय राशि प्रति विद्यार्थी
1 से 5	राजकीय विद्यालय	1 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	10 रुपये	3000
6 से 8	राजकीय विद्यालय	2 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	15 रुपये	3000
9 से 12	राजकीय विद्यालय	5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय	बालिका	20 रुपये	5400
11 से 12	राजकीय विद्यालय	ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय/विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किमी से अधिक के शहरी विद्यालय में आने वाली	बालिका	20 रुपये	5400

5. ध्यान देने योग्य बातें :-

5.1 **विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।**

5.2 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साईकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

5.3 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

5.4 किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

5.5 कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

5.6 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जानी है। सत्र समाप्ति पर मद में रही बचत राशि की सूचना जिला कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

5.7 संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र 'विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र' में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संशोधन को सीबीईओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग-इन से की जा सकेगी।

6. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन –

6.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा, जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जायेगा।

6.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

6.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रॉंसपोर्ट सुविधादाता से सारणी-2 में निर्धारित राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/ भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/ जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

6.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-क प्रस्तुत करने पर छात्राओं को सारणी-2 में वर्णित राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व –

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :-

7.1 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

7.2 परिषद कार्यालय के शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करवाई गई ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना हेतु नियमानुसार पात्र/चयनित बच्चों की सूची को जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7.3 शिविरा कलेण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों की गणना करते परिषद कार्यालय द्वारा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के खाते में ट्रॉंसपोर्ट वाउचर राशि हस्तान्तरण की जायेगी।

B- अति० जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :-

1. परिषद कार्यालय से प्राप्त ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि को पीईईओ विद्यालय की एसडीएमसी/ एसएमसी के खातों में हस्तान्तरण करते हुए नियमानुसार पात्र/चयनित बच्चों के नाम मय विद्यालयवार इत्यादि की सूची भी सम्बन्धित पीईईओ को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ के अधीन नहीं है, के पात्र/चयनित बच्चों के लिये राशि एवं सूची का हस्तान्तरण सम्बन्धित विद्यालय की एसडीएमसी को करना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

3. पीईईओ को जारी की गई राशि एवं बच्चों की सूची से सीबीईओ कार्यालय को भी अवगत कराया जायेगा ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग की जा सके।

4. ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पीईईओ को जारी की गई राशि का संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉकवार प्राप्त करना तथा समीक्षा उपरान्त परिषद कार्यालय को प्रेषित करना।

C- सीबीईओ के दायित्व :-

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा-निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/मावि/उमावि से प्राप्त कर समीक्षा पश्चात सूचना को समेकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित करना।

D- पीईईओ / संस्था प्रधान/एसडीएमसी/एसएमसी के दायित्व :-

सारणी -3

दायित्व	किये /करवाये जाने वाले कार्य	प्रपत्र	उप प्रपत्र	कक्षा
समस्त संस्था प्रधान	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।	1	भाग-क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	प्रपत्र-1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना	1	भाग-ख	समस्त
एसडीएमसी/एसएमसी	दिशा निर्देशानुसार अनुशंषा/ अनुमोदन करना	2	भाग-क	समस्त
समस्त संस्था प्रधान	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टी का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।	2	भाग-ख	समस्त
पीईईओ / सम्बन्धित संस्था प्रधान	पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक सुविधा / ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना की राशि हस्तान्तरण करना।	3	-	पात्र / चयनित बच्चे

1. समस्त संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावकों से उक्त सारणी के अनुसार निर्धारित प्रार्थना/आवेदन प्रपत्र-1 का भाग-क भरवाया जायेगा।
2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना/आवेदन पत्रों के सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र-1 के भाग-ख में किया जायेगा।
3. प्रपत्र-2 के भाग-क में समस्त एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ट्रॉंसपोर्ट वाउचर अथवा सामूहिक परिवहन सुविधा से लाभान्वित किये जाने की अनुशंषा / अनुमोदन किया जायेगा।
4. प्रपत्र-2 के भाग-ख द्वारा संस्थाप्रधान के अनुमोदन/स्वीकृति पश्चात सूची के विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट वाउचर की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी।
5. प्रपत्र-3 द्वारा पीईईओ व अधिनस्थ/ सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा पात्र/चयनित बच्चों हेतु सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा/ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना की राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति दी जानी है।
6. पीईईओ के अधिनस्थ विद्यालयों द्वारा प्रतिमाह की उपस्थिति पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

7. पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता–पिता / अभिभावक के खाते में तथा सामूहिक परिवहन व्यवस्था के लिये सम्बन्धित को ऑनलाईन/चैक द्वारा राशि हस्तान्तरित की जायेगी। किसी भी स्थिति में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाये।

8. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीईईओ नहीं है। वे सभी संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के पात्र/चयनित बच्चों को सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा/ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित करने के लिये उक्त सारणी–3 के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

9. सामूहिक परिवहन सुविधा का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूरे सत्र के लिए किराये के वाहन से की जावेगी। इस व्यवस्था में एक ही रास्ते से आने वाले विद्यार्थियों तथा स्थानीय साधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जावेगा। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावको का सहयोग लिया जावेगा। वाहन में निर्धारित क्षमता में ही विद्यार्थी बैठे, यह प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

10. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदाता को देय एक मुश्त मासिक किराये का भुगतान पीईईओ विद्यालय की SDMC/SMC द्वारा सम्बन्धित के बैंक खाते में किया जावेगा। यदि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञेय राशि से अधिक है तो, जनसहभागिता/भामाशाह/संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों की स्वैच्छिक सहभागिता से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।

11. सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का भुगतान अनुज्ञेय राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार उनके अथवा उनके माता–पिता/ अभिभावक के खातों में ऑनलाईन/चैक द्वारा हस्तान्तरित किया जावेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जावे।

8. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन–

8.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।

8.2 अनुमोदित वार्षिक बजट 2019–20 में कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी अधिकतम रुपये 3000/– और कक्षा 9 से 12 की पात्र/चयनित बालिकाओं को अधिकतम 5400/– देय है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।

8.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत छः माह की अग्रिम राशि का आवंटन दो किश्तों में करेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार जारी की जायेगी।

8.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

8.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/ माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

8.6 सभी ब्लॉक कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा) के वैकल्पिक शिक्षा एवं औपचारिक प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जायेगा।

8.7 विगत शैक्षणिक सत्र की ट्रांसपोर्ट वाउचर की शेष राशि को समायोजित कर आगामी शैक्षणिक सत्र की ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि जिलों को परिषद द्वारा जारी की जायेगी।

8.8 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

9. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण –

9.1 **राज्य स्तर**– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से।

9.2 **जिला स्तर**– सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।

9.3 **ब्लॉक स्तर**– सीबीईओ कार्यालय द्वारा।

9.4 **विद्यालय स्तर**– पीईईओ एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थाप्रधान तथा एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा।

10. मांग एवं प्रगति की सूचना–

10.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

10.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल पर राज्य स्तर पर की जायेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
एवं सह विशिष्ट शासन सचिव, जयपुर

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/पैशि/ ट्राँसपोर्ट वाउचर दिशा–निर्देश/2019–20/ 6608 दिनांक : 10/10/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./ सीबीईओ /पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. नियन्त्रक वित्त, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. जिला परियोजना समन्वयक, अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
8. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

10/10/19
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रपत्र–1 (भाग–क)

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र

(विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता : ....
2. पिता/अभिभ्रवक का नाम : ....
3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : .... कक्षा : ....
4. निवास स्थान का पता : ....
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : .... किमी .... मीटर

A. कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्ष 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 12 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं :–

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवस स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यर्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

IV. शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 एवं 12 की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए–

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं हैं। ☐

V. ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :–

- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परियहन सुविधा ली जानी है। ☐
- स्वयं के स्तर पर ट्रॉंसपोर्ट व्यवस्था ली जानी है। ☐

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर) | (छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 1 (भाग– ख)

(कार्यालय उपयोग हेतु)
संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। छात्र / छात्रा .... कक्षा .... में अध्ययनरत है जिसका एस.आर. क्रमांक .... है। अतः उक्त छात्र/ छात्रा के आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है एवं सभी तथ्य सही पाये गये है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2019–20 के दिशा–निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC के समक्ष प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र–2

भाग–क
एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा / अनुमोदन

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच की गई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2019–20 के दिशा–निर्देश अनुसार निम्नलिखित विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा की जाती है:–

विद्यालय का नाम– ....

क्र. स.	एस. आर. संख्या	विद्यार्थी का नाम	पिता / अभिभावक का नाम	कक्षा	बैंक का नाम	आईएफएससी नं0	खाता संख्या

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रपत्र–2 (भाग – ख)

संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टी का शाला दर्पण पर अंकन व अनुमोदन / स्वीकृति

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा उपरान्त प्राप्त प्रपत्र–2 भाग–क के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2019–20 के दिशा–निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र–3

पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय
एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति

(ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन इसी एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों को निम्नानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आर. संख्या	कक्षा	जाति	सुविधा (ट्रांसपोर्ट वाउचर (1) / सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)
ट्रॉंसपोर्ट वाउचर

विद्यालय का नाम ....यू. डाईस कोड..............................

विद्यालय का प्रकार – पीईईओ / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

ट्रॉंसपोर्ट वाउचर प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में ट्रॉंसपोर्ट वाउचर राशि रू. ....का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि........... है एवं शेष राशि ....व पूर्व अवशेष राशि रू0 .... कुल राशि रू0 .... बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या.................. दिनांक .... द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की कुल प्राप्त राशि	शैक्षणिक सत्र 2019–20 में ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की कुल उपयोग की गई राशि			विद्यालय में शेष राशि
	नि:शुल्क सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में	बैंक खाते में सीधे लाभान्वित	कुल उपयोग की गई राशि	

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं नाम
संस्था प्रधान

नोट:– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (ब्लॉक स्तर)
ट्रॉंसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में ब्लॉक .... जिला .... के .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक,............................, माध्यमिक .... एवं उच्च माध्यमिक .. .. विद्यालयों को जारी की गई ट्रॉंसपोर्ट वाउचर की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा ट्रॉंसपोर्ट वाउचर हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	ट्रॉंसपोर्ट वाउचर			वि. वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय
....

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय
....

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)
ट्रॉंसपोर्ट वाउचर

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में जिला .... को ट्रॉंसपोर्ट वाउचर मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू– तल, ब्लॉक–6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स न

F.5(3)(171)/RCSCE/SWSHE/School Safety/ 2018 1837 दिनांक: 20/02/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला–समस्त

विषयः– स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने हेतु दिशा–निर्देश।

विद्यालय सुरक्षा एक जटिल विषय है जिसमे छात्र–छात्राओ को विद्यालयों मे शारीरिक दण्ड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा, लैगिंक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा से बचाना लक्षित है। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के Quality Interventions अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने हेतु प्रति विद्यालय रूपये 500/– का प्रावधान किया गया है।

राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने के संबंध में राज्य मुख्यालय से जिलों को प्रति विद्यालय 500/– रूपये की दर से राशि हस्तानान्तरित की जा रही हैं। इस राशि को जिला स्तर से सीधे ही जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों को हस्तानान्तरित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) राजकीय विद्यालय की दीवार पर संलग्न प्रारूप – 'क' में 6 फुट (लम्बाई) X 4 फुट (चौडाई) का ऑयल पेन्ट से बेस तैयार कर ऑयल पेन्ट से ही लिखा जावेंगा।
2. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) के बेस का रंग **हल्का आसमानी** एवं अक्षरों का रंग **गहरा नीला** रहेगा।
3. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) 28 फरवरी 2020 तक स्थापित करें।
4. प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित किये जाने के पश्चात् विद्यालयों से **प्रारूप–'ख'** में जिला स्तर पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र **प्रारूप–'ग'** में एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र **प्रारूप–'घ'** में 15 मार्च 2020 तक परिषद् कार्यालय की SWSHE-CELL को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों, विभागीय दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिशचित की जावें।

(डा.रश्मि शर्मा)
अति० राज्य परियोजना निदेशक–II

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–I/II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा , जिला– समस्त ।
7. रक्षित पत्रावली

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियंता

C:\Users\SWSHE\Desktop\New Folder (2)\General Hindi Letter 2019.Doc

Scanned with CamScanner

प्रारूप "क"

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बाल सुरक्षा

आपातकालीन फोन नम्बर

संस्था प्रधान :–	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (महिला) :–	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (पुरूष) :–
स्थानीय पुलिस थाना –	पुलिस कन्ट्रोल रूम :– 100	चाइल्ड हैल्पलाइन :– 1098
स्थानीय चिकित्सालय –	ऐंम्बुलेन्स :– 108	गरिमा हैल्पलाइन :– 8764858500

विद्यार्थी क्या करें

1. विद्यालय में किसी भी संदिग्ध/अनजान व्यक्ति को लगातार देखें तो संस्था प्रधान/प्रभारी शिक्षक को बताएं।
2. बाहर जाते समय माता–पिता/शिक्षक/अभिभावक को जगह एवं जिसके साथ/पास जा रहे हैं, उसके बारे में बता कर जाएं।
3. किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से स्पर्श करने पर
   - डरें नहीं, जोर से चिल्लायें एवं मदद के लिये पुकारें।
   - जल्दी से उस स्थान से चले जाएं, किसी के पास अकेले न रूके रहें।
   - इस बात को छिपाकर नही रखें। मम्मी– पापा, शिक्षक/जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, उसको बताएं।
   - चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098/गरिमा हैल्पलाइन नम्बर 8764858500 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

विद्यार्थी क्या न करें

1. अनजान व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाएं और उसके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु जैसे टॉफी, चॉकलेट, खिलौना आदि ग्रहण नहीं करें।
2. यदि कोई व्यक्ति आपके परिवारजन के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने के बारे में आपको बताऐं एवं साथ ले जाने की कोशिश करे तो शिक्षकों/परिवारजनों/अभिभावकों से पूछे बिना उस व्यक्ति के साथ अकेले न जाएं।

शिक्षक/अभिभावक क्या करें जब बच्चा कुछ बताने लगे

1. बिना कोई प्रतिक्रिया दिये ध्यान से उसकी बात सुनें।
2. बच्चे पर दोषारोपण नहीं करें, उस पर विश्वास करें।
3. बच्चे को बहादुर बताते हुए उसकी प्रशंसा करें।
4. बच्चे को कहें कि उसका कोई दोष नहीं है।
5. बच्चे का साथ दें और उसे पीडित/अपराधी होने का अहसास न होने दें।
6. चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऐं।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "ख"

विद्यालय स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र–'ख'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु विद्यालय को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम विद्यालय .... पंचायत .... जिला ....

विद्यालय डाइस कोड़ .... ब्लॉक ....

क्र.सं.	विद्यालय को जारी की गई कुल राशि रू.	प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रू.	शेष उपलब्ध राशि

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्पले बोर्ड) बनवा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालय के लेखों में कर लिया गया है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "ग"

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र–'ग'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम जिला ....

क्र.सं.	राज्य मुख्यालय से प्राप्त कुल राशि का विवरण रू.		जिला स्तर सें विद्यालयों को जारी की गई राशि का विवरण रू.		विद्यालय द्वारा प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रू.		शेष उपलब्ध राशि		
	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	जिला स्तर पर 8 = (3–5)	विद्यालय स्तर पर 9 = (5–7)	कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्पले बोर्ड) बनवा दिए गए है तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालयों एवं जिले के लेखों में कर लिया गया है।

सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार
समग्र शिक्षा अभियान जिला......................

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला......................

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवम्
जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला......................

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "ध"

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र–'ध'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम जिला ....

क्र.सं.	राज्य मुख्यालय से प्राप्त कुल राशि का विवरण रू.		जिला स्तर सें विद्यालयों को जारी की गई राशि का विवरण रू.		विद्यालय द्वारा प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रू.		शेष उपलब्ध राशि		
	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	जिला स्तर पर 8 = (3–5)	विद्यालय स्तर पर 9 = (5–7)	कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्पले बोर्ड) बनवा दिए गए है तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालयों एवं जिले के लेखों में कर लिया गया है।

सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवम्
समग्र शिक्षा अभियान जिला......................	समग्र शिक्षा अभियान जिला......................	जिला परियोजना समन्वयक
		समग्र शिक्षा अभियान जिला......................

Scanned with CamScanner

प्रारूप 'क'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बाल सुरक्षा

आपातकालीन फोन नम्बर

संस्था प्रधान	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (महिला)	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (पुरुष) :–
स्थानीय पुलिस थाना	पुलिस कन्ट्रोल रूम :– 100	चाइल्ड हैल्पलाइन :– 1098
स्थानीय चिकित्सालय	ऐम्बुलेन्स :– 108	गरिमा हैल्पलाइन :– 8764858500

विद्यार्थी क्या करें

1. विद्यालय में किसी भी संदिग्ध/अनजान व्यक्ति को लगातार देखें तो संस्था प्रधान/प्रभारी शिक्षक को बताएँ।
2. बाहर जाते समय माता पिता/शिक्षक/अभिभावक को जगह एवं जिसके साथ/पास जा रहे हैं, उसके बारे में बता कर जाएँ।
3. किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से स्पर्श करने पर
   - डरें नहीं, जोर से चिल्लायें एवं मदद के लिये पुकारें।
   - जल्दी से उस स्थान से चले जाएं, किसी के पास अकेले न रुके रहें।
   - इस बात को छिपाकर नही रखें। मम्मी– पापा, शिक्षक/जिस पर भी आप भरोसा करते है, उसको बताएं।
   - चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098/गरिमा हैल्पलाइन नम्बर 8764858500 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज करायें।

विद्यार्थी क्या न करें

1. अनजान व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाएँ और उसके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु जैसे टॉफी, चॉकलेट, खिलौना आदि ग्रहण नही करें।
2. यदि कोई व्यक्ति आपके परिवारजन के साथ कोई भी अप्रिय घटना होने के बारे में आपको बताएँ एवं साथ ले जाने की कोशिश करे तो शिक्षकों/ परिवारजनों/ अभिभावकों से पूछे बिना उस व्यक्ति के साथ अकेले न जाएँ।

शिक्षक/अभिभावक क्या करें जब बच्चा कुछ बताने लगे

1. बिना कोई प्रतिक्रिया दिये ध्यान से उसकी बात सुनें।
2. बच्चे पर दोषारोपण नही करें, उस पर विश्वास करें।
3. बच्चे को बहादुर बताते हुए उसकी प्रशंसा करें।
4. बच्चे को कहें कि उसका कोई दोष नहीं है।
5. बच्चे का साथ दें और उसे पीड़ित/अपराधी होने का अहसास न होने दें।
6. चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज करायें।

Scanned with CamScanner